

## मध्यावधिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीतिगत कार्यनीति संबंधी विवरण

राजकोषीय संकेतक- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की प्रतिशतता के रूप में चल लक्ष्य

सारणी : राजकोषीय संकेतक

	संशोधित अनुमान 2018-19	बजट अनुमान 2019-20	(संभावित)	
			2020-21	2021-22
1. राजकोषीय घाटा	3.4	3.3	3.0	3.0
2. राजस्व घाटा	2.2	2.3	1.9	1.7
3. प्राथमिक घाटा	0.2	0.2	0.0	0.0
4. सकल कर राजस्व	11.9	11.7	11.6	11.6
5. कर-भिन्न राजस्व	1.3	1.5	1.4	1.4
6. केन्द्रीय सरकार का ऋण	48.4	48.0	46.2	44.4
7. जिसमें से				
ईबीआर के कारण देयताएं		0.7	0.8	0.9

1. उपर्युक्त सारणी में 2019-20 के लिए बजट अनुमान और 2019-20 और 2021-22 के लिए चल लक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। ब.अ. 2019-20 में 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीडीपी का 3.3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यह सं.अ. 2018-19 के लिए 3.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे और 3.4 प्रतिशत के अंतरिम बजट घाटे के समतुल्य है। कुल व्यय सं.अ. की तुलना में 13.4 प्रतिशत की दर पर बढ़ने का पूर्वानुमान है, जबकि कुल ऋण-भिन्न प्राप्तियां 14.3 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। इसका आशय यह है कि जीडीपी के 3 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति राजकोषीय घाटे को घटा कर लाने के क्रमिक मार्ग को 31 मार्च, 2021 तक प्राप्त किया जाना है। यह उल्लेखनीय है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम नियमावली, 2004 के नियम 3 में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और केन्द्रीय सरकार को यह अधिदेश दिया गया है कि राजकोषीय घाटे को घटाकर प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत के समतुल्य या इससे अधिक राशि पर लाया जाए।

2. उपर्युक्त सारणी 1 में वर्णित अन्य राजकोषीय संकेतक गैर-बाध्यकारी राजकोषीय संकेतकों की प्रकृति के हैं और इनमें राजस्व घाटा तथा प्राथमिक घाटे के लक्ष्य शामिल हैं। सं.अ. 2018-19 की तुलना में, जहां राजस्व घाटा जीडीपी का 2.2 प्रतिशत था, ब.अ. 2019-20 राजस्व घाटे में 2.3 प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि दर्शाता है। जबकि राजस्व घाटा 14.3 प्रतिशत की दर पर बढ़ा, राजस्व प्राप्तियों में 13.5 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई। कुल व्यय में राजस्व व्यय के हिस्से में 0.7 प्रतिशतों 87.1 प्रतिशत से 87.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। राजस्व घाटे में मामूली वृद्धि की स्थिति मध्यावधि में परिवर्तित हो जाने की आशा है, जहां यह आशा है कि राजस्व घाटा 2020-21 में 1.9 प्रतिशत और 2021-22 में 1.7 प्रतिशत का आंकड़ा छू लेगा। यह अनुमान है कि सब्सिडी के यौक्तिकीकरण के लिए शुरू किए गए उपायों

के मध्यावधि में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ब.अ. 2019-20 में प्राथमिक घाटा, निवल ब्याज अदायगियों का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 0.2 प्रतिशत होने की संभावना है। मध्यावधि में यह घटकर जीडीपी का 0 प्रतिशत होने की संभावना है, जहां यह अपरिवर्तित रहने की संभावना है।

3. ब.अ. 2019-20 में, सकल कर राजस्व में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाए जाने की संभावना है और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह 11.7 प्रतिशत होने की आशा है। ब.अ. 2019-20 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर-भिन्न राजस्व जीडीपी का 1.5 प्रतिशत होने की आशा है। सं.अ. 2018-19 के मुकाबले 0.2 प्रतिशतों की वृद्धि का कारण मुख्य रूप से संवर्धित डिवीडेंड प्राप्तियां हैं। आशा है कि संभावित वर्षों में कर-भिन्न राजस्व, जीडीपी का लगभग 1.4 प्रतिशत पर स्थिर होगा।


4. केन्द्रीय सरकार के ऋण, एफआरबीएम अधिनियम (धारा 2 (कक)) में यथापरिभाषित, में भारत की संचित निधि से केन्द्रीय सरकार की सभी देयताएं, सभी सरकारी खाते की देयताएं, उस तारीख के अंत में उपलब्ध नकदी शेष से घटाकर, शामिल हैं। विदेशी ऋण की गणना चालू मुद्रा दर के आधार पर की जानी होती है। ब.अ. 2019-20 से अतिरिक्त बजटीय संसाधन (पूर्णरूपेण शोधित सरकारी बांड) शामिल कर लिए गए हैं, क्योंकि यह ऋण की परिभाषा के दायरे में आता है क्योंकि मूलधन और ब्याज की चुकौती वार्षिक वित्तीय विवरण के जरिए की जाती है।

5. केन्द्रीय सरकार का ऋण, नकदी शेष घटाकर, गिरावट का रुझान दर्शाता है। सं.अ. 2018-19 के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सरकार का ऋण 48.4 प्रतिशत होने की आशा है। यह संभावना है कि 2019-20 में केन्द्रीय सरकार की देयताएं घटकर जीडीपी का 48.0 प्रतिशत रह जाएंगी। केन्द्रीय सरकार के ऋण में

गिरावट का मार्ग 2020-21 और 2021-22 में ऋण जीडीपी का क्रमशः 46.2 प्रतिशत और जीडीपी का 44.4 प्रतिशत पहुंचने के साथ जारी रहने की आशा है। ऋण में गिरावट का मुख्य कारण मध्यावधि में राजकोषीय घाटे में तेजी से कमी आने का अनुमान है। स्थिर मुद्रास्फीति व्यवस्था (आरबीआई का संभावित मुद्रास्फीति लक्ष्य लगभग 4 प्रतिशत) से उधार की ब्याज दर कम करने और इस प्रकार से ऋण स्टॉक में वृद्धि कम करने में सहायता मिलेगी।

6. जैसा कि अंतरिम बजट 2019-20 के साथ प्रस्तुत एमटीएफपी सह एफपीएसएस में इंगित किया गया है, ईबीआर (पूर्णतः शोधित बांड)

से संबंधित बजट व्यवस्था के लिए एक तंत्र प्रचालित किया गया है। अतिरिक्त बजटीय संसाधन वे वित्तीय देयताएं होती हैं जिन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जुटाया जाता है जिनके लिए संपूर्ण मूल धन और ब्याज की चुकौती केन्द्रीय सरकार के बजट से की जाती है। 2019-20 में ईबीआर की बजटीय व्यवस्था जीडीपी का 0.7 प्रतिशत रखी गई है इसका लक्ष्य पांच वर्षों में ईबीआर स्टॉक में वृद्धि घटाकर शून्य करना है। सं.अ. 2018-19 के लिए केन्द्रीय सरकार के ऋण में ईबीआर शामिल नहीं की गई है। तथापि, मार्च, 2019 के अंत में, ईबीआर (पूर्णतः शोधित बांड) के कारण बकाया देयताएं ₹88,454.10 करोड़ पर स्थिर रहीं जो जीडीपी का 0.5 प्रतिशत है।



#### राजस्व प्राप्तियों के बारे में मध्यावधि संभावनाएं

7. पिछले वर्षों के मुकाबले सकल कर राजस्व 2020-21 में 10.6 प्रतिशत 2021-22 में 12.4 प्रतिशत की दर पर बढ़ने का अनुमान है। सकल कर राजस्व में इन वृद्धियों से, यह अनुमान है कि जीटीआर-जीडीपी अनुपात 2020-21 और 2021-22 में 11.6 प्रतिशत होगा। जबकि वर्ष 2020-21 और 2021-22 में प्रत्यक्ष करों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 13.4 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाने की आशा है, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत होने की आशा है। अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी और सीमा शुल्क की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के समान रहने की आशा है इसलिए यह 1 का उछाल दर्शाती है।

8. पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष करों में अत्यधिक उछाल दर्शाया गया है और मामूली जीडीपी की अपेक्षा इसमें लगातार उच्चतर वृद्धि दर पर बढ़ोत्तरी होती रही है। इससे प्रत्यक्ष कर संग्रहणों में बढ़ोत्तरी हुई है। यह 2010-11 में जीडीपी का 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में जीडीपी का 5.9 प्रतिशत हो गया है। यह उछाल जारी रहने की आशा

है और 2021-22 में प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात जीडीपी का 6.6 प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है। प्रत्यक्ष कर भी 2010-11 में जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में जीडीपी के 5.3 प्रतिशत हो गए हैं।

#### ब.अ. 2019-20 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

9. जैसा कि उपर्युक्त सारणी 1 में इंगित किया गया है, 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.3 प्रतिशत नियत किया गया है।

10. ब.अ. 2019-20 में सकल कर राजस्व की बजटीय व्यवस्था ₹24,61,195 करोड़ है जो सं.अ. 2018-19 के मुकाबले ₹2,13,020 करोड़ (9.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाती है। प्रत्यक्ष कर सं.अ. 2018-19 में ₹12,00,000 करोड़ की तुलना में ब.अ. 2019-20 में ₹13,35,000 करोड़ पहुंचने की आशा है जो सं.अ. 2018-19 के मुकाबले 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। आशा है कि 2019-20 के अंत में प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 6.3 प्रतिशत होंगे। ब.अ. 2019-20 में अप्रत्यक्ष करों की बजटीय व्यवस्था ₹11,22,015 करोड़ है जो जीडीपी का 5.3 प्रतिशत है। 2019-20

में कर-भिन्न राजस्व संग्रहण की बजटीय व्यवस्था सं.अ. 2018-19 में ₹2,45,276 करोड़ की तुलना में ₹3,13,179 करोड़ है।

11. ब.अ. 2019-20 में ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति (एनडीसीआर) ₹1,19,828 करोड़ होने की आशा है जो सं.अ. 2018-19 के मुकाबले ₹26,673 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। एनडीसीआर में वृद्धि का सर्वाधिक मुख्य कारण विनिवेश है जिसकी बजटीय व्यवस्था ₹1,05,000 करोड़ (सं.अ. 2018-19 ₹80,000 करोड़) है। कुल निवल उधारियां सं.अ. 2018-19 में ₹6,34,397 करोड़ की तुलना में 2019-20 में ₹7,03,760 करोड़ अनुमानित हैं। यह सं.अ. के मुकाबले 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

12. 2019-20 में कुल व्यय ₹27,86,349 करोड़ नियत है जो सं.अ. 2018-19 के मुकाबले ₹3,29,114 करोड़ (13.4 प्रतिशत) की वृद्धि है। राजस्व व्यय सं.अ. 2018-19 में ₹21,40,612 करोड़ की तुलना में ब.अ. 2019-20 में ₹24,47,780 करोड़ होने का अनुमान है जो सं.अ. के मुकाबले ब.अ. 2019-20 में ₹3,07,168 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करना है। पूंजीगत व्यय 2018-19 में ₹3,16,624 करोड़ से बढ़कर ब.अ. 2019-20 में ₹3,38,569 करोड़ होने की आशा है।

13. जीएसटी सुधारों और राजस्व के पूर्ण लाभ प्राप्त होने में कुछ और समय लगने की आशा है और इसलिए 2019-20 में भी स्थिरीकरण चरण जारी रहने की आशा है।

#### 2020-21 और 2021-22 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

14. पिछले वर्ष के मुकाबले 2020-21 और 2021-22 में सकल कर राजस्व में क्रमशः 10.6 प्रतिशत और 12.4 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है जो दोनों वर्षों में कर-जीडीपी का अनुपात 11.6 प्रतिशत दर्शाता है। ये आंकड़े जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के समावेशी आंकड़े हैं। 2020-21 और 2021-22 में केन्द्रीय सरकार की कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति जीडीपी का 1.4 प्रतिशत होने की आशा है।

15. कुल सरकारी व्यय 2019-20 की तुलना में 2020-21 और 2021-22 में निम्न दर पर बढ़ने की आशा है। घटी वृद्धि दर का मुख्य कारण संभावित राजस्व व्यय है। दूसरी ओर पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष के मुकाबले 2020-21 और 2021-22 में 9.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर पर बढ़ने का पूर्वानुमान है। 2020-21 और 2021-22 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सरकार के ऋण में भी क्रमशः 46.2 प्रतिशत और 44.4 प्रतिशत तक की गिरावट की आशा है। यह आंकड़ा ईबीआर संभावना का समावेशी है।

16. आशा है कि जीडीपी के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य वित्त वर्ष 2020-21 में प्राप्त कर लिया जाएगा और तत्पश्चात यह जारी रहेगा। व्यय के यौक्तिकीकरण और वित्त आयोग की पंचाट अवधियों के साथ योजनाओं का समाकलन वित्त वर्ष 2020-21 में इसके लिए मुख्य वाहक होगा। जीएसटी सुधारों के पूर्ण लाभ वित्त वर्ष 2020-21 से मिलना शुरू हो जाएंगे और तत्पश्चात धारणीय राजकोषीय मार्ग सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से स्थिर रहेंगे। किन्तु कतिपय जोखिम कारकों से ही स्वरू होने की आवश्यकता होगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2020-21 से आगे राज्यों को संसाधनों के अंतरण के लिए आधार नियत करेंगी।

#### राजकोषीय संकेतकों में अंतर्निहित अनुमान

##### राजस्व प्राप्ति

##### कर-राजस्व

17. 2020-21 और 2021-22 के लिए प्राप्ति के अनुमान संतुलित बना दिए गए हैं। 2019-20 में, ₹24,61,195 करोड़ के सकल कर राजस्व की बजटीय व्यवस्था की गई है जो जीडीपी का 11.7 प्रतिशत बैठता है। सकल कर राजस्व पिछले वर्ष के मुकाबले तीव्र गति से वृद्धि से पूर्व 2020-21 में 10.6 प्रतिशत और 2021-22 में 12.4 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की आशा है। सकल कर राजस्व के लिए उछाल 0.8 है। ब.अ. 2019-20 में प्रत्यक्ष कर की बजटीय व्यवस्था ₹13,35,000 करोड़ है जबकि अप्रत्यक्ष कर की बजटीय व्यवस्था ₹11,22,015 करोड़ है, जो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, क्रमशः 6.3 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत बैठती है। ये कर क्रमशः 0.9 और 0.6 प्रतिशत की उछाल दर्शाते हैं।

18. पिछले वर्ष के मुकाबले 2020-21 और 2021-22 में प्रत्यक्ष करों में क्रमशः 13.4 प्रतिशत और 14.0 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होने की आशा है। ब.अ. 2019-20 के आंकलन और वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए अनुमान इन संभावनाओं पर आधारित हैं कि इनमें आयकर अधिनियम, 1961 में दी गई कर दर या स्लैब या कर के किसी उपबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए निगम दर का आठ वर्षीय औसत उछाल क्रमशः 1.00 और 1.03 प्रतिशत है तथा दोनों वर्षों के लिए व्यक्तिगत आयकर 1.36 है। वित्त वर्ष 2018-19 से आगे 3 प्रतिशत की दर प्राथमिक शिक्षा उप-कर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उप-कर को शामिल करने वाला शिक्षा उप-कर समाप्त कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2018-19 से आगे आयकर (प्रभार सहित) के 4 प्रतिशत की दर पर 'शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर' लगाया गया है।

19. वर्ष 2020-21 और 2021-22 में राज्यों को कर अंतरण 15वें वित्त आयोग की सिफारिश, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, द्वारा शासित किया जाएगा। अतः, संभावित अवधि में कर राजस्व के केन्द्रीय हिस्से की गणना करने के लिए 14वें वित्त आयोग की अवधि के अंतरण फार्मूले का उपयोग किया जाएगा।

20. पिछले वर्ष के मुकाबले 2020-21 और 2021-22 में अप्रत्यक्ष कर क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की गणना की गई है। यह इस अनुमान पर आधारित है कि संभावित वर्षों में अप्रत्यक्ष कर नीति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए, केन्द्रीय जीएसटी, यूटीजीएसटी, और जीएसटी क्षतिपूर्ति उप-कर में संबंधित वर्षों की मामूली जीएसपी वृद्धि दरों के संदर्भ में 1.0 प्रतिशत का उछाल आने की आशा है।

21. सीमा शुल्क ड्यूटी का अनुमान इस संभावना के साथ लगाया गया है कि सीमा शुल्क में भी मामूली जीडीपी के रूप में उसी दर पर वृद्धि होगी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में, एमएस/एचएसडी संबंधी विशिष्ट दर संरचना के कारण, वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए सीएस (पीओएल) राजस्व संभावनाओं हेतु 6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर लागू की गई है। यह पीपीएसी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार पिछले पांच वर्षों में औसतन घरेलू पीओएल उपभोग वृद्धि के समतुल्य है।

## कर-भिन्न राजस्व-नीतिगत दृष्टिकोण

22. कर-भिन्न राजस्व सरकार के राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण घटक है और अब इसे इस विवरण में राजकोषीय संकेतक के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। कर-भिन्न राजस्व में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश शामिल हैं। कर-भिन्न राजस्व का दूसरा महत्वपूर्ण घटक ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां हैं। अधिकतर ब्याज उन राज्यों से प्राप्त होता है जिन्होंने केन्द्रीय सरकार से कुछ समय पहले ऋण लिया होता है। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ऋण जारी करना सीमित कर दिया है। अन्य कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में दूरसंचार प्राप्तियां, अपतटीय तेल क्षेत्रों से प्राप्त प्राप्तियां, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता प्रभार और लगाए गए शुल्क शामिल हैं।

23. ब.अ. 2019-20 में, कर-भिन्न राजस्व ₹3,13,179 करोड़ अनुमानित है। यह पूर्वानुमान है कि मध्यावधि में कर-भिन्न राजस्व जीडीपी का 1.4 प्रतिशत रहेगा।

### राज्यों को अंतरण- वित्त आयोग

24. ब.अ. 2019-20 में राज्यों को अंतरण हेतु बजट में ₹8,11,613 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए राज्यों को अंतरण 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों के आधार पर है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2019-20 तक लागू हैं। फिलहाल, 2020-21 से और 2021-22 तक राज्यों को अंतरणों का कोई अनुमान लगा पाना संभव नहीं होगा। क्योंकि यह 15वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि में आएगा।

### पूंजी प्राप्तियां

#### ऋणों की वसूली

25. ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों के दो मुख्य घटक होते हैं, नामतः ऋणों की वसूली और अग्रिम तथा विनिवेश प्राप्तियां। 2019-20 में ऋणों की वसूली हेतु बजट में ₹14,828 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्यावधि में यह 2020-21 में ₹12,000 करोड़ और 2021-22 में ₹11,000 करोड़ रहने का अनुमान है।

#### अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

26. विनिवेश ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों का द्वितीय मुख्य घटक है। विनिवेश प्राप्तियां सरकार के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विक्रय से सरकार को प्राप्त होती हैं। इनमें सामरिक आस्तियों का विक्रय भी शामिल है। 2019-20 में विनिवेश के लिए बजट में ₹1,05,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में प्राप्तियां ₹80,000 करोड़ होंगी।

#### उधार - सरकारी ऋण और अन्य देयताएं

27. ब.अ. 2019-20 में, भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों जिनमें खरीद वापसी/अंतरण शामिल नहीं है, के जरिए लिए गए सकल और निवल बाजार उधार की क्रमशः ₹7,10,000 करोड़ और ₹4,23,122 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई थी, जो सं.अ. 2018-19 में ₹5,71,000 करोड़ और ₹4,22,737 करोड़ के उधार के मुकाबले

सकल उधारों में क्रमशः 24.3 प्रतिशत की वृद्धि और निवल उधारों में 0.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 2017-18 में वास्तविक सकल और निवल बाजार उधार क्रमशः ₹6,47,160 करोड़ और ₹4,10,258 करोड़ पर स्थिर रहे। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाजार उधार के सकल राजकोषीय घाटे (आरई) के 60 प्रतिशत के वित्तपोषण की बजट व्यवस्था की गई थी।

28. राजकोषीय हंडियों से निवल उधार, लघु बचत संग्रहणों, राज्य की भविष्य निधियों, निवल विदेशी सहायता तथा नकद आहरण जैसे अन्य स्रोतों की जीएफडी के शेष 40 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए बजटीय व्यवस्था की गई थी। विदेशी सहायता से वसूली ऋणात्मक थी जिसका आशय यह हुआ कि एफडी वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ विदेशी सहायता के उपयोगों की अपेक्षा चुकौती अधिक रही।

29. 2018-19 के दौरान, इस वित्त वर्ष के दौरान सावरेन स्वर्ण बांड (एसजीबी) स्कीम की 6 श्रृंखलाएं प्रारंभ की गईं जिनमें ₹641.6 करोड़ की कुल धनराशि का 2031.2 किग्रा. सोने का अभिदान प्राप्त हुआ।

30. मार्चात 2018 में केन्द्रीय सरकार की समग्र देयताओं का लगभग 93.8 प्रतिशत घरेलू और 6.2 प्रतिशत विदेशी है। दिनांकित प्रतिभूतियां मुख्य रूप से घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित होती हैं। वाणिज्यिक बैंक सबसे बड़े निवेशक होते हैं और फिलहाल बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों का लगभग 40.51 प्रतिशत धारण करते हैं। (दिसम्बर, 2018 के अंत में), जो दिसम्बर, 2017 में 41.4 प्रतिशत हिस्से से कम है। बीमा कंपनियों, सरकारी प्रतिभूतियों में दूसरी प्रमुख निवेशक श्रेणी हैं, जो सामान्य तौर पर अपनी दीर्घावधिक देयताओं के कारण दीर्घ अवधि वाली प्रतिभूतियों को प्राथमिकता देती हैं। दिसम्बर, 2018 के अंत में, केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में बीमा कंपनियों की धारिताओं का हिस्सा पिछले वित्त वर्ष के अंत में 23.63 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 24.57 प्रतिशत हो गया। भविष्य निधियां, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए मांग का दूसरा स्थायी स्रोत है जिनका हिस्सा 5.54 प्रतिशत है। बैंकिंग क्षेत्र से निरंतर और मजबूत प्राथमिक डीलर्स नेटवर्क से जुड़े बीमा क्षेत्र से भी निरंतर अधिक सुदृढ़ मांग का अर्थ यह है कि निजी क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कोई दबाव डाले बिना 2019-20 के लिए सरकार का उधार कार्यक्रम आसानी से पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रतिभूतियों के धारण में बीमा कंपनियों का बेहतर हिस्सा और भविष्य निधियों के हिस्से में स्थिरता, लागत में किसी बड़ी वृद्धि के बिना सरकारी ऋण की परिपक्वता पृष्ठभूमि को और अधिक बढ़ाने के लिए गुंजाइश प्रदान करेगी क्योंकि प्रतिफल का झुकाव दीर्घावधि में मोटेतौर पर एक समान रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित संशोधित एमटीएफ में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए निवेश सीमाएं भी बढ़ाई गई हैं, जिनसे धारण संबंधी शर्तों में छूट के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों में ऐसे और अधिक निवेशकों को लाए जाने की आशा है।

31. ऋण-जीडीपी अनुपात में गिरावट आ रही है। केन्द्रीय सरकार का ऋण 2019-20 में जीडीपी का 48.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। गिरावट की प्रवृत्ति जारी रहते हुए यह आगे और भी कम होकर वर्ष

2020-21 में 46.2 प्रतिशत तथा 2021-22 में 44.4 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। मुद्रास्फीति नियंत्रण के प्रयासों से सरकार को मध्यावधि संदर्भ में लाभ होगा, जहां कम मुद्रास्फीति से भारत सरकार के नए उधारों की लागत कम होगी, इसके परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान में कमी आएगी। सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात में प्रगामी कटौती ब्याज के भार को कम करेगी और सरकार को अतिरिक्त उधार का रास्ता अपनाए बिना अन्य सामाजिक उत्पादक क्षेत्रों पर व्यय करने हेतु अधिक गुंजाइश प्रदान करेगी।

### कुल व्यय

32. ब.अ. 2019-20 में कुल व्यय ₹27,86,349 करोड़ रखा गया है जो जीडीपी का 13.2 प्रतिशत है। कुल व्यय वृद्धि पिछले वर्ष के मुकाबले 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत होने की आशा है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, कुल व्यय 2021-22 में 12.7 प्रतिशत तक मामूली वृद्धि होने से पूर्व 2020-21 में घटकर जीडीपी का 12.6 प्रतिशत रहने की आशा है। राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की दर की तुलना में 2020-21 और 2021-22 में कम दर पर वृद्धि होगी और यह क्रमशः जीडीपी के 11.1 प्रतिशत और जीडीपी के 11.0 प्रतिशत के स्तर पर रहने की संभावना है। पूंजीगत व्यय से समग्र व्यय वृद्धि के प्रेरित होने की संभावना है जो कुल व्यय के अनुपात के प्रतिशत के रूप में सुधरकर ब.अ. 2019-20 में 12.2 प्रतिशत तथा 2020-21 में 13 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है।

### राजस्व खाता

33. 2019-20 में राजस्व व्यय के ब.अ. का आंकड़ा ₹24,47,780 करोड़ है जो सं.अ. 2018-19 पर ₹3,07,168 करोड़ (14.3 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। राजस्व व्यय 2019-20 में कुल व्यय का 87.8 प्रतिशत अनुमान है। तथापि, मध्यावधि संदर्भ में, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में गिरावट आकर यह वर्ष 2021-22 में 87 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।

34. सरकार के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में ब्याज भुगतान, सब्सिडियां, वेतन, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों पर व्यय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्त आयोग के अनुदानों, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा अन्य अंतरणों के रूप में किए गए राजस्व अंतरण शामिल हैं। अन्य अंतरण श्रेणी में राज्य सरकारों को जीएसटी के क्रियान्वयन पर हुई राजस्व हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए किए गए अंतरण शामिल हैं। केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को दिया जाने वाला अनुदान जो केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का महत्वपूर्ण भाग है, भी राजस्व व्यय में शामिल है। इन पर निम्नलिखित पैराग्राफों में संक्षिप्त चर्चा की गई है।

### ब्याज भुगतान

35. ब्याज भुगतान केन्द्र के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक होता है। सं.अ. 2018-19 में ₹5,87,570 करोड़ के स्तर पर रखा गया था। 2019-20 में ब्याज भुगतान संबंधी व्यय ₹6,60,471 करोड़ रहने की संभावना जो राजस्व प्राप्तियों का 33.7 प्रतिशत है। ब्याज भुगतान में मध्यावधि संदर्भ में कमी आने की संभावना है क्योंकि व्यापार युद्ध और तेल की अधिक कीमतों से संबंधित वैश्विक अनिश्चितताओं का मुद्रा पर

पड़ने वाला दबाव कम होने की संभावना है। इससे सकारात्मक फीडबैक मिलने और ब्याज दरों में कमी आने की संभावना है। इस प्रवृत्ति को प्रतिबिम्बित करते हुए, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल ब्याज भुगतान 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 33.1 प्रतिशत और 32.4 प्रतिशत रहने की संभावना है।

### प्रमुख सब्सिडियां

36. खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर दी जाने वाली प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय राजस्व व्यय का दूसरा महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। ब.अ. 2019-20 में, सब्सिडियों पर होने वाला व्यय ₹3,01,694 करोड़ रहने का अनुमान है। यह सं.अ. 2018-19 की तुलना में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिम्बित करता है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह 1.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। मध्यावधि संदर्भ में, यह संभावना है कि सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने के उपाय से लाभ होगा तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी व्यय कम होकर 2020-21 और 2021-22 में जीडीपी का 1.3 प्रतिशत रह जाएगी।

### रक्षा सेवाएं

37. रक्षा सेवा राजस्व व्यय में मुख्यतः वेतन, स्टोर, सहित अन्य स्थापना से संबंधित मदों पर व्यय, निर्माण कार्य से संबंधित अनुक्षण व्यय, परिवहन तथा अन्य विविध व्यय शामिल हैं। ब.अ. 2019-20 में, रक्षा सेवा व्यय ₹2,01,902 करोड़ रहने का अनुमान है जो सं.अ. 2018-19 में ₹1,91,431 करोड़ था। यह पिछले वर्ष सं.अ. की तुलना में ब.अ. 2019-20 में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह अपेक्षा की जाती है कि घटक पर होने वाले व्यय में मध्यावधि संदर्भ में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

### वित्त आयोग के अनुदान

38. वित्त आयोग के अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत राज्यों को चालू अंतरण 14वें वित्त आयोग की राजस्व घाटा अनुदान, राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए सहायता अनुदान तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के संबंध में की सिफारिशों पर आधारित हैं। राजस्व व्यय के इस घटक के अंतर्गत 2019-20 में बजट अनुमान ₹1,20,466 करोड़ है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2019-20 तक लागू हैं। 2020-21 और 2021-22 में वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत होने वाले व्यय का इस चरण पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

### पेंशन

39. पेंशन के अंतर्गत राजस्व व्यय के तीन मुख्य घटक हैं, अर्थात् सिविल पेंशन जिसमें संघ की सरकार के कुछ अपवाद छोड़कर सभी मंत्रालयों/विभागों का पेंशन व्यय शामिल है, रक्षा पेंशन तथा दूरसंचार विभाग के अंतर्गत पेंशन। सं.अ. 2018-19 में पेंशन व्यय ₹1,66,618 करोड़ रहने का अनुमान था। पिछले कुछ वर्षों में पेंशन में हुई वृद्धि मुख्यतः 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण है। ब.अ. 2019-20 में पेंशन व्यय की बजटीय व्यवस्था ₹1,74,300 करोड़

की गई है जो सं.अ. 2018-19 की तुलना में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मध्यावधिक संदर्भ में भी, पेंशन के भुगतान में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह अपेक्षा की जाती है कि पेंशन संबंधी भुगतान सं.अ. 2019-20 में 0.8 प्रतिशत के स्तर से कम होकर वर्ष 2021-22 में 0.7 प्रतिशत के स्तर पर आने की आशा है।

### पूंजी परिव्यय

40. सरकार का पूंजी व्यय ब.अ. 2019-20 में ₹3,38,569 करोड़ है जो सं.अ.2018-19 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पूंजीगत व्यय में मध्यावधिक संदर्भ में तीव्र गति से वृद्धि होने की संभावना है। यह आशा की जाती है कि 2020-21 और 2021-22 में पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय माध्यावधिक संदर्भ में जीडीपी के 1.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने की संभावना है।

41. विगत वर्षों के दौरान रेलवे में पूंजीगत व्यय बढ़ा है लेकिन 2015-16 से इसने ऊंची छलांग लगाई है। 2018-19 में ₹1,33,397 करोड़ के पूंजीगत व्यय की तुलना में ब.अ. 2019-20 में ₹1,60,176 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय की परिकल्पना की गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.1 प्रतिशत अधिक है। इसमें से ₹65,837 करोड़ की राशि पूंजीगत व्यय के लिए सकल बजटीय सहायता के माध्यम से प्रदान की गई है।

### सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

42. वर्ष 2019-20 के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद ₹2,11,00,607 करोड़ रहने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अल्पावधि से मध्यावधिक संदर्भ में जीडीपी वृद्धि वर्तमान स्तरों पर स्थिर बने रहने की आशा है। सांकेतिक जीडीपी में 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 11.6 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वास्तविक संदर्भ में 2020-21 और 2021-22 में वृद्धि दरें 7.3 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत बनी रहने का अनुमान है। सांकेतिक संदर्भ में जीडीपी 2020-21 और 2021-22 में ₹2,35,46,590 करोड़ और ₹2,63,50,400 करोड़ बनता है तथा वास्तविक संदर्भ में यह क्रमशः ₹1,61,62,617 करोड़ और ₹1,73,74,814 करोड़ रहने का अनुमान है।

### निम्नलिखित के संबंध में वहनीयता का निर्धारण

#### राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

43. कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (निवल) और कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। कुल राजस्व प्राप्तियां ब.अ. 2019-20 में ₹19,62,761 करोड़ रहने की संभावना है जो सं.अ. 2018-19 की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह 9.3 प्रतिशत है। कर राजस्व (निवल) ₹16,49,582 करोड़ रहने का अनुमान है जो जीडीपी का 7.8 प्रतिशत है। ब.अ. 2019-20 कर भिन्न राजस्व ₹3,13,179 करोड़ रहने की संभावना है जो जीडीपी के 1.5 प्रतिशत पर है। व्यय के पक्ष में राजस्व व्यय ब.अ. 2019-20 में ₹24,47,780 करोड़ रहने का अनुमान है जो जीडीपी का 11.6 प्रतिशत बनता है।

ब.अ. 2019-20 में राजस्व घाटे का आकलन ₹4,85,019 करोड़ के स्तर पर किया गया है जो जीडीपी का 2.3 प्रतिशत है।

44. 2020-21 और 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 10.3 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की वृद्धि होने और पिछले अनुमान वर्ष में जीडीपी के 9.1 प्रतिशत पर आने की संभावना है। कर राजस्व (निवल) मध्यावधिक संदर्भ में जीडीपी के 7.7 प्रतिशत के स्तर पर रहने की संभावना है जबकि कर भिन्न राजस्व जीडीपी के 1.4 प्रतिशत के स्तर पर बने रहने की संभावना है। आशा की जाती है कि जीडीपी के रूप में राजस्व व्यय कम होकर 2020-21 में 11.1 प्रतिशत के स्तर पर आ जाएगा आगे इसमें फिर कमी आकर यह 2021-22 में 11.0 प्रतिशत के स्तर पर आ जाएगा। इससे राजस्व घाटा कम हो जाएगा और यह 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः जीडीपी के 1.9 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत के स्तर पर आ जाएगा।

45. तथापि यह उल्लेखनीय है कि नए एफआरबीएम ढांचे में राजस्व घाटा एफआरबीएम अधिनियम में लक्षित राजकोषीय संकेतक नहीं है। प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी) जो राजस्व घाटा तथा पूंजी आस्तियों के सृजन के बीच अंतर होता है, उसे भी राजकोषीय लक्ष्य के रूप में हटाया गया है।

### उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग

46. राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के अनुपात में मोटे तौर पर सरकार के चालू व्यय के वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त ऋण की सीमा को मापा जाता है। यह बजट अनुमान 2019-20 में 68.9 प्रतिशत रहने की संभावना है। राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के अनुपात में पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय की वृद्धि में गिरावट हाने के कारण सुधार होकर यह 2020-21 में 61.1 प्रतिशत तथा 2021-22 में 57.4 प्रतिशत के स्तर पर आने की संभावना है। राजस्व व्यय में होने वाली भारी गिरावट ब्याज दरों के कम स्तरों पर धारणा पर आधारित है जो बाह्य मंच पर कम दबाव की मदद से सौम्य मुद्रास्फीति की धारणा पर आधारित है। सब्सिडियों, पेंशन इत्यादि पर राजस्व व्यय में वर्षानुवर्ष होने वाली वृद्धि में भी गिरावट आने की संभावना है।

### राजकोषीय नीति का सिंहावलोकन :

#### अप्रत्यक्ष कर नीति

47. जीएसटी नीति: जीएसटी को लागू हुए लगभग दो वर्ष का समय हो गया है। जीएसटी के विभिन्न पहलुओं/प्रावधानों के क्रियान्वयन को अब सरल बनाया गया है। जीएसटी की मुख्य विशेषताओं को इस प्रकार गिनाया जा सकता है:-

- 17 से अधिक करों और 13 उपकरों को जीएसटी में शामिल किया गया है।
- यह भारत को 'एक राष्ट्र एक कर' बनाता है। यह एक आर्थिक स्वाधीनता भी है- ऐसी स्वाधीनता जो काली अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार के चंगुल से मुक्त कराती है।
- जीएसटी का आधार स्व-निर्णय है जहां क्रेता और विक्रेता किसी भी निविष्टि कर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए एक-दूसरे पर निर्भर होता है।

- iv. इसके अतिरिक्त, पैना आधारित पंजीकरण से कर वंचना करने वाले व्यक्ति का पता लगाने में सरकार को मदद मिलती है।
- v. जीएसटी कानून को अधिनियमित किया गया तथा मतदान की किसी भी प्रक्रिया के बिना परिषद द्वारा देश भर में 1200 से अधिक मदों पर कर की एक समान दर लागू करने का निर्णय किया गया। अभी तक संपन्न 34 बैठकों में जीएसटी परिषद द्वारा सभी निर्णय (1064 निर्णय जिनमें जीआईसी द्वारा लिए गए 219 निर्णय शामिल हैं- 1006 निर्णयों को क्रियान्वित किया गया है) आम सहमति से लिए गए हैं।
- vi. जीएसटी सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर चलने वाली प्रणाली है। पंजीकरण से लेकर विवरण प्रस्तुत करने, भुगतान करने, वापसी का दावा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है।
- vii. सेवा प्रदाताओं के लिए जीएसटी के पंजीकरण और भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए सकल कारोबार की उच्चतम सीमा ₹20 लाख और ₹10 लाख (मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा में) होगी।
- viii. वस्तुओं के प्रदाताओं के लिए जीएसटी के पंजीकरण और भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए सकल कारोबार की उच्चतम सीमा 1.4.2019 से ₹40 लाख और ₹20 लाख (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पुद्दुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड)।
- ix. वस्तुओं के प्रदाता और रेस्त्रां सेवाओं के प्रदाता जैसे छोटे कारोबारियों के लिए सम्मिश्रण योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत, जिस व्यक्ति का कारोबार ₹1.5 करोड़ तक है (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पुद्दुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड में ₹75 लाख) को वित्त वर्ष 2019-20 से अपने कारोबार पर 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कर का भुगतान करना आवश्यक है और त्रैमासिक भुगतान के साथ अपना वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- x. सेवा प्रदाताओं के लिए संमिश्र योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत ₹50 लाख तक कारोबार वाले व्यक्ति को वित्त वर्ष 2019-20 से अपने कारोबार पर 6 प्रतिशत कर भुगतान करना होगा और त्रैमासिक भुगतान के साथ अपना वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- xi. अनिवार्य वस्तुओं पर जीएसटी लागू नहीं है। इसी प्रकार, किसानों तथा कृषि संबंधी कार्य करने वालों को जीएसटी के तहत पंजीकरण करना जरूरी नहीं है। जिन वस्तुओं का भारी मात्रा में उपभोग किया जाता है, उन वस्तुओं पर 5 प्रतिशत कर लगाया गया है। अधिकांश विनिर्मित वस्तुओं के 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दायरे में रखा गया है। कुछेक वस्तुओं (केवल 29) जैसे विलासिता और नशीली वस्तुओं पर अब 28 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा रहा है। [शून्य-158 वस्तुएं (11.7 प्रतिशत) 5 प्रतिशत-296 वस्तुएं (21.9 प्रतिशत) 12 प्रतिशत-235 वस्तुएं (17.4 प्रतिशत); 18 प्रतिशत-632 वस्तुएं (46.8 प्रतिशत) और 28 प्रतिशत-29 वस्तुएं (2.2 प्रतिशत)]
48. जीएसटी का क्रियान्वयन - जीएसटी के क्रियान्वयन से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं का यहां उल्लेख करना आवश्यक है:-
- आज की स्थिति के अनुसार लगभग 1.35 करोड़ करदाताओं ने (70 लाख से अधिक नए करदाता) जीएसटी के तहत पंजीकरण किया है। पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया सरल की गई है और बाधा रहित चल रही है। क्रियान्वयन के शुरुआती दिनों में यह महसूस किया गया कि पंजीकरण के लिए संकेन्द्रित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। माइग्रेशन विंडों को फिर एक बार 31.1.2019 तक खोला गया है।
  - जीएसटीआर-1 को पहली बार अक्टूबर, 2017 में क्रियान्वित किया गया किन्तु अनुभव के आधार पर इसे स्थगित किया गया था। करदाताओं को जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने के लिए नया समय निर्धारित किया गया था जो जनवरी, 2018 को अर्थात् जीएसटी लागू होने के 6 माह पश्चात समाप्त होने वाला था। फार्म जीएसटी-1 में विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा जुलाई 2017 से सितम्बर, 2018 थी जिसे 31.10.2018 तक बढ़ाया गया था। फार्म जीएसटीआर-2 और फार्म जीएसटीआर-3 को प्रस्तुत करने को आस्थगित रखा गया।
  - जीएसटी परिषद ने करदाताओं के लिए पूर्ववर्ती कर प्रणाली से माइग्रेशन प्रक्रिया को फिर से मंजूरी दी थी। ऐसे नए स्थानांतरित करदाताओं को फार्म जीएसटीआर-3बी और फार्म जीएसटीआर-1 (₹1.5 करोड़ से अधिक कारोबार वाले करदाताओं हेतु) में विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जुलाई, 2017 से दिसम्बर, 2018 को 31.3.2019 तक बढ़ाया गया था। इसी प्रकार जुलाई, 2017 से दिसम्बर, 2018 की तिमाहियों के लिए फार्म जीएसटीआर-1 (₹1.5 करोड़ से अधिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए) प्रस्तुत करने की अवधि 31.3.2019 तक बढ़ाई गई थी।
  - विवरण प्रस्तुत करने की नई प्रणाली के अनुसार, मासिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु केवल एक विवरण फार्म होगा। पिछले वित्त वर्ष में ₹5 करोड़ तक कारोबार वाले छोटे करदाताओं के लिए विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति त्रैमासिक होगी [सहज (केवल B2C), सुगम (B2B और

B2C) तथा सामान्य तिमाही]। नई प्रणाली में आपूर्तिकर्ता को माह के दौरान किसी आपूर्तिकर्ता को माह के दौरान किसी भी समय निरंतर बीजक अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी और प्राप्तकर्ता अपलोड किए गए बीजक को निरंतर रूप से देखने में सक्षम होगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा कर भुगतान में चूक किए जाने के कारण आईटीसी के दुरुपयोग को आपूर्तिकर्ता से कर वसूली करके नियंत्रित किया जाएगा। तथापि, कतिपय अपवादात्मक स्थितियों में राजस्व प्राधिकारियों के पास क्रेताओं से क्रेडिट वसूल करने का एक विकल्प उपलब्ध होगा। विवरण प्रस्तुत करने की नई प्रणाली अक्टूबर, 2019 से विभिन्न चरणों में जनवरी, 2020 तक क्रियान्वित की जाएगी।

- v. करदाताओं द्वारा एक सरलीकृत विवरण पत्र (फार्म जीएसटीआर-3बी) प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, मासिक विवरण प्रस्तुत करने के साथ कर के भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया आसान हो गई है। जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2019 के लिए 31.5.2019 तक लगभग 17.24 करोड़ विवरणियों (फार्म जीएसटीआर-3बी) प्रस्तुत की गई (लगभग 80 प्रतिशत करदाता प्रस्तुत कर रहे हैं)। लगभग 99.68 लाख जीएसटीआर-4 और 9.42 करोड़ जीएसटीआर-1 (लगभग केवल 65 प्रतिशत करदाता प्रस्तुत कर रहे हैं) 31.5.2019 तक प्रस्तुत किए गए हैं। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करने में अंतर है।
- vi. (जीएसटीआर-1 बनाम जीएसटीआर-3बी तथा जीएसटीआर-3बी बनाम जीएसटीआर-2ए) के बीच अंतर का पता लगाने के लिए डेटा ऐनालिटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है।
- vii. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कुल जीएसटी संग्रहण ₹7.41 लाख करोड़ था। इन आठ महीनों के लिए औसत मासिक संग्रहण ₹89,885 करोड़ रहा है।
- viii. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संग्रहित कुल सकल जीएसटी राजस्व ₹11.77 लाख करोड़ था (₹1,03,458 करोड़, ₹94,016 करोड़, ₹95,609 करोड़, ₹96,483 करोड़, ₹93,961 करोड़, ₹94,442 करोड़, ₹1,00,709 करोड़, ₹97,637 करोड़, ₹94,725 करोड़, ₹1,02,503 करोड़, ₹97,274 करोड़ तथा अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के लिए ₹1,06,577 करोड़ था। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान औसत मासिक संग्रहण ₹98,083 करोड़ रहा है।
- ix. अप्रैल, 2019 और मई, 2019 के महीने में राजस्व संग्रहण क्रमशः ₹1,13,865 करोड़ तथा ₹1,00,289 करोड़ था।
- x. यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार बहुत सक्रिय रही है कि जीएसटी सुचारू रूप से कार्यान्वित हुआ है। जीएसटी

कानून/नियम/प्रक्रियाएं व्यापार और उद्योग की जरूरतों के अनुकूल रही हैं। इसके लिए इसके शुरु होने की तारीख से ही केन्द्र ने 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 507 अधिसूचनाएं [178-सीटी, 19-आईटी, 34-यूटी, 3-सीएस (234-कर भिन्न से संबंधित) 87-सीटीआर, 90-आईटीआर, 87-यूटीआर और 9-सीएसआर (273 कर से संबंधित)], 106 परिपत्र (101-सीटी, 4-आईटी और 1-सीएस), 18 आदेश [17-सीटी और 1-यूटी], 13 कठिनाइयों को हटाने के आदेश [10-सीटी और 3-यूटी] और 125 से ज्यादा प्रेस विज्ञापितियां जारी की हैं।

- xi. दिनांक 1.10.2018 से स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान शुरु किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नई प्रणाली से अपने आपको जानने के लिए टीडीएस की कटौती करने वाले को और अधिक समय देने के लिए अक्टूबर, नवम्बर, और दिसम्बर के महीनों के लिए फार्म जीएसटीआर-7 और फार्म जीएसटीआर-8 में विवरण देने की अंतिम तिथि क्रमशः 28.2.2019 और 7.2.2019 तक बढ़ा दी गई थी। इसके साथ ही जनवरी, 2019 के महीने के लिए फार्म जीएसटीआर-7 में विवरण देने की अंतिम तिथि 28.2.2019 तक बढ़ा दी गई थी।
- xii. किसी सरकारी प्राधिकरण/पीएसयू द्वारा किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण/पीएसयू को की गई आपूर्ति के मामले में टीडीएस से छूट प्रदान की गई है।
- xiii. निर्यातकों को कर के भुगतान के बिना निर्यात करने का विकल्प प्रदान करके राहत प्रदान की गई है। निर्यातक अपने पत्र शीर्षों पर बचनबद्धता का साधारण पत्र प्रस्तुत करके अपनी वस्तुओं अथवा सेवाओं का निर्यात कर सकते हैं यह निर्यात पर कोई कर न लगाने के दर्शन के अनुरूप है।
- xiv. रिफंड प्रक्रिया में अड़चनों पर मैनुअल प्रक्रिया की कल्पना करके काबू पाया गया था। स्पष्टता लाने तथा पद्धति को निश्चित बनाने के लिए अपेक्षित परिपत्र (7) जारी किए गए थे। कर दाताओं को रिफंड करने के लिए संकेन्द्रित अर्थमान शुरु किया गया था। लंबित रिफंड दावों पर कार्रवाई/स्वीकृति को तेज करने के उद्देश्य से 15.3.2018 से 31.3.2018 तक, 31.05.2018 से 16.6.2018 तक तथा 16.7.2018 से 31.7.2018 तक तीन रिफंड पखवाड़ों का आयोजन किया गया था। इन रिफंड पखवाड़ों ने व्यापार को काफी राहत प्रदान की थी।
- xv. पहले पखवाड़े में, सीबीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ₹4,265 करोड़ आईजीएसटी रिफंड तथा ₹1,136 करोड़ आईटीसी रिफंड स्वीकृत किए गए थे।



- xvi. दूसरे रिफंड पखवाड़े के दौरान, सीबीआईसी द्वारा ₹6,087 करोड़ आईएसटी रिफंड तथा ₹1,548 करोड़ आईटीसी रिफंड स्वीकृत किए गए थे। भारत से बाहर निर्यात की गई वस्तुओं हेतु आईजीएसटी के मामले में, सीबीआईसी द्वारा निपटाए गए रिफंड दावों की राशि का प्रतिशत पहले से ही 90 प्रतिशत से अधिक है।
- xvii. तीसरे पखवाड़े में, पहली बार सीबीआईसी के अधिकारी जीएसटी रिफंड सहायता डेस्क के तरीके के द्वारा रिफंड की स्वीकृति के लिए निर्यातकों के दरवाजों तक पहुंचे। निर्यातकों की आसानी के लिए जीएसटी रिफंड सहायता डेस्क एफआईओ, ईपीसी तथा आईपीसी के कार्यालयों में 11 स्थानों पर स्थापित किए गए थे। इन सहायता डेस्क में सीबीआईसी के अधिकारी तैनात थे। जिनका कार्य रिफंड के संदर्भ में होने वाली समस्याओं के हल करने में निर्यातकों की सहायता करना था। दिनांक 31.7.2018 के अंत तक, 93 प्रतिशत की निपटान दर को लेते हुए सीबीआईसी द्वारा निपटाए गए जीएसआईटी रिफंड दावों की कुल राशि ₹29,829 करोड़ थी। तीसरे रिफंड पखवाड़े के दौरान सीबीआईसी द्वारा ₹3,391 करोड़ रुपये का आईजीएसटी रिफंड स्वीकृत किया गया था। दिनांक 31.7.2018 की स्थिति के अनुसार, आरएफडी-01ए रिफंड के मामले में, सीबीआईसी द्वारा निपटाई गई राशि ₹16,074 करोड़ थी तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा निपटाई गई राशि ₹8475 करोड़ थी, इस प्रकार आरएफडी-01ए रिफंड की कुल राशि ₹24,549 करोड़ थी।
- xviii. केन्द्र तथा राज्यों द्वारा निपटाए गए आरडीएफ-01ए दावों की कुल राशि ₹90,930 करोड़ (लगभग) है। इसके अतिरिक्त, ₹78,321 करोड़ (लगभग) के आईजीएसटी रिफंड दावे निपटाए गए हैं। अतः 31.5.2019 तक कुल ₹1,69,251 करोड़ के रिफंड दावे निपटाए गए हैं।
- xix. विदेशी एवं देशीय आपूर्तिकर्ताओं से सोर्सिंग इनपुट के लिए अग्रिम अधिकार (एए) देने के उपयोग/निर्यात संवर्धन पूंजी वस्तु (ईपीसीजी)/100 प्रतिशत ईओयू योजनाओं की अनुमति द्वारा निर्यातकों को राहत प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, एए/ईपीसीजी और ईओयू के धारकों को देशीय आपूर्ति निर्यात के समकक्ष मानी जाएगी। इससे निर्यात क्षेत्र की वृद्धि को बल मिलेगा तथा उनकी कार्य पूंजी की जरूरतों पर दबाव घटेगा।
- xx. व्यापारी निर्यातकों को निर्यात के लिए देशीय आपूर्तिकर्ताओं से वस्तुओं की अधिक प्राप्ति हेतु 0.1 प्रतिशत का सांकेतिक जीएसटी भुगतान करना होगा। यह निर्यात क्षेत्र में वृद्धि को अधिक बल देने तथा इनकी कार्य पूंजी की समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था।
- नकदी की रुकावट का स्थायी समाधान 'ई-वालेट' योजना है जो 1.4.2020 से प्रारंभ की जानी प्रस्तावित है।
- xxi. वस्तुओं की अंतर-राज्य गतिविधि के लिए ई-मार्ग बिल प्रणाली 1.4.2018 से कार्यान्वित की गई है। अंतर-राज्य गतिविधि के लिए उक्त प्रणाली 16.6.2018 से टेढ़-मेढ़े ढंग से लागू की गई है। दिनांक 31.5.2019 तक लगभग 66.45 करोड़ ई-वे बिल सृजित किए गए हैं जिनमें अंतर-राज्य गतिविधि के लिए 37.11 करोड़ ई-वे बिल शामिल हैं।
- xxii. राज्य प्राधिकारियों ने जांच चौकियां हटा दी हैं। यह सूचित किया गया है कि वाहन/ट्रक द्वारा तय की गई औसत दूरी पर्याप्त रूप से बढ़ी है।
- xxiii. मुनाफाखोरी विरोधी समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण स्थापित किया गया है।
- xxiv. अग्रिम विनिर्णय हेतु आवेदन की मैनुअल फाइलिंग की प्रक्रिया खोजी गई है।
- xxv. जुलाई से सितम्बर, 2017 तक के महीनों के लिए देय तिथि पर विवरणी दायर न करने के लिए विलम्ब शुल्क माफ कर दिया गया था। बाद के महीनों के लिए, उस करदाता द्वारा भुगतान की जाने वाली विलम्ब शुल्क की राशि जिसकी उस महीने के लिए कर देनदारी 'शून्य' थी, ₹20 रुपये प्रतिदिन घटा दी गई है और अन्य सभी के लिए, विलम्ब शुल्क ₹50 रुपये प्रतिदिन होगा। जुलाई से सितम्बर, 2017 तक के महीनों के लिए भुगतान की गई विलम्ब शुल्क की राशि पहले ही वापिस लौटा दी गई है।
- xxvi. जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 तक के महीनों/ तिमाहियों हेतु फार्म जीएसटीआर-1, फार्म जीएसटीआर-3बी और फार्म जीएसटीआर-4 को विलम्ब से दायर करने का विलम्ब शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, यदि ये फार्म 22.12.2018 से 31.3.2019 तक दायर किए गए हैं।
- xxvii. वस्तुओं की आपूर्ति के लिए प्राप्त किए गए अग्रिम कर के भुगतान के लिए शर्त हटा दी गई है। सेवाओं की आपूर्ति के लिए अग्रिम की प्राप्ति पर जीएसटी भुगतान करने की देनदारी बनी हुई है।
- xxviii. अपंजीकृत व्यक्तियों से पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा अधिप्राप्ति के संदर्भ में प्रतिलोम प्रभार आधार (आरसीएम) पर कर के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह सीजीएसटी अधिनियम की संशोधित धारा 9(4) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है।

- xxix. ₹20 लाख रुपये तक की सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति के लिए पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है।
- xxx. विदेशी राजनयिक मिशनों/संयुक्त राष्ट्र के संगठनों पर अनुपालन भार को कम करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक विदेशी राजनयिक मिशन/संयुक्त राष्ट्र के संगठन को एक केन्द्रीकृत यूआईएन जारी की जाएगी तथा ऐसी एजेंसियों के लिए सभी अनुपालन केन्द्र सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के समन्वय से किए जाएंगे।
- xxxix. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बीजकों में यूआईएन का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। जो कानून के अंतर्गत अनिवार्य अपेक्षा है।
- xxxix. जीएसटीएन द्वारा छोटे करदाताओं को निःशुल्क अकाउंटिंग एंड बिलिंग साफ्टवेयर प्रदान किए जाएंगे।
- xxxix. जीएसटी को अधिक कर अनुकूल बनाने के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन 29.8.2018 को राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। ये दिनांक 1.2.2019 से लागू किए गए हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
- (क) संघटन योजना की सीमा 1.4.2019 से ₹1.5 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जाएगी। संघटन कर दाताओं को उस सीमा तक जो पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अथवा ₹5 लाख तक, इनमें जो भी अधिक हो, के लिए सेवाओं की आपूर्ति (रेस्टोरेंट सेवाओं के अलावा) की अनुमति है।
- (ख) अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से खरीद के लिए प्रतिलोम प्रभार केवल उन आपूर्तियों के लिए तथा विशिष्ट कर योग्य व्यक्तियों के संदर्भ में होंगे जो सरकार द्वारा अधिसूचित है।
- (ग) असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकरण की न्यूनतम छूट सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की जाएगी।
- (घ) पंजीकरण अस्थायी रूप से निलंबित रहेगा क्योंकि पंजीकरण के निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया चल रही है, ताकि करदाता कानून के अंतर्गत सतत अनुपालन से मुक्त रहें।
- (ङ) गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित स्थान से अन्य गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित स्थान तक भारत में प्रवेश करने वाली वस्तुओं (वाणिज्यिक व्यापार) के बिना वस्तुओं की आपूर्ति; घरेलू उपभार की स्वीकृति से पहले किसी व्यक्ति के भंडागार की वस्तुओं की आपूर्ति उच्च समुद्री बिक्री के मामले में वस्तुओं की आपूर्ति न होना घोषित किया गया है।
- (च) एक मामले को छोड़कर आपूर्ति न होने के मामले में पूर्ण आईटीसी उपलब्ध होगा।
- (छ) निवेश कर क्रेडिट योजना का भविष्य तर्कसंगत बनाया गया है।
- (ज) अपीलीय प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए भुगतान योग्य पूर्व जमा राशि की सीमा क्रमशः ₹25 करोड़ तथा ₹50 करोड़ होगी।
- (झ) जॉब कार्य के लिए समय सीमा को निवेश और पूंजी की वापसी हेतु क्रमशः एक वर्ष तथा दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाने के लिए आयुक्त को अधिकार दे दिए गए हैं।
- (ञ) सेवाओं की आपूर्ति निर्यात के रूप में मानी जाएगी यदि भुगतान भारतीय रुपयों में भी प्राप्त किया गया हो, जहां आरबीई द्वारा अनुमत है।
- (ट) भारत में अस्थायी रूप से आयात की गई उन वस्तुओं जिनका बाद में भारत में किसी अन्य उपयोग के बिना निर्यात किया गया, पर किसी उपचार और प्रक्रिया के जॉब कार्य के मामले में आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर माना जाएगा।
- (ठ) विशिष्ट व्यक्तियों से वसूली की जा सकती है, भले ही वे अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में हों।
- (ड) इनपुट कर क्रेडिट का अन्योन्य उपयोग (क्रॉस यूटिलाइजेशन) के क्रम को तर्कसंगत बनाया गया है।
- (i) दिनांक 22.12.2018 को आयोजित अपनी 31वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने निम्नलिखित व्यापार अनुकूल उपायों को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया है:-
- (क) समान मुद्दे पर दो या अधिक राज्य अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकरणों के विवादग्रस्त निर्णयों के मामलों से निपटने के लिए केन्द्रीकृत अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) का सृजन। इसके लिए कानून में संशोधन की जरूरत होगी।
- (ख) यह व्यवस्था करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 का संशोधन की स्वीकार्य इनपुट कर क्रेडिट को ध्यान में रखने के बाद ब्याज केवल करदाता की निवल कर देनदारी पर ही लिया जाना चाहिए, अर्थात् ब्याज केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए भुगतान योग्य राशि पर ही लगाया जाएगा। इसके लिए कानून में संशोधन करने की जरूरत होगी।
- (ग) प्रत्येक कर शीर्ष के लिए सिंगल कैश लेजर होगा। कार्यान्वयन की औपचारिकताओं को जीएसटी

और लेखांकन प्राधिकारियों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) केन्द्र अथवा राज्य कर प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत रिफंड राशि के संवितरण हेतु एकल प्राधिकरण की योजना प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की जाएगी। इसके लिए औपचारिकताओं को जीएसटीएन के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणियां तथा समाधान विवरण भेजने की देय तिथि 30.6.2019 तक बढ़ा दी गई है।

(च) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए बीजक के संदर्भ में आईटीसी विशिष्ट शर्तों के अधीन, मार्च, 2019 के महीने के लिए फार्म जीएसटीआर-3बी को भेजने के लिए देय तिथि तक प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ii) जीएसटी परिषद ने दिनांक 24.2.2019 तथा 19.3.2019 को आयोजित अपनी क्रमशः 33वीं और 34वीं बैठक में स्थावर संपदा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:-

#### चालू परियोजनाओं के संदर्भ में विकल्प :

(क) प्रमोटर्स को उन चालू परियोजनाओं, (भवन जहां निर्माण और वास्तविक बुकिंग दोनों 1.4.2019 से पहले शुरू हो चुकी हैं) के संबंध में पुरानी दरों (आईटीसी के साथ 8 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत की प्रभावी दर) पर कर भुगतान जारी रखने का एक बारगी विकल्प प्रदान किया जाएगा जो 31.3.2019 तक पूरी कर ली गई हैं। विकल्प 20.5.2019 से पहले एक बार ही लिया जा सकेगा और जहां निर्धारित समय-सीमा के भीतर विकल्प नहीं लिया गया है, वहां नई दरें लागू होंगी।

#### कर की नई दरें:

(ख) कर की नई दरें, जो उन नई परियोजनाओं अथवा चालू परियोजनाओं पर लागू होंगी जिन्होंने नई शासन में कर भुगतान करने के उपरोक्त विकल्प का प्रयोग किया है, निम्नलिखित हैं:

■ वहनीय मकानों के निर्माण पर इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 1 प्रतिशत की नई दर निम्नलिखित के लिए उपलब्ध होगी:

- ◆ सभी मकान जो वहनीय मकानों (मेट्रो में 60 वर्ग मीटर/गैर-मेट्रो में 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तथा ₹45 लाख तक

की कीमत) की परिभाषा को पूरा करते हैं: और

- ◆ विद्यमान केन्द्रीय और राज्य आवास योजनाओं के अंतर्गत चालू परियोजनाओं में निर्मित किए जा रहे वहनीय मकान फिलहाल (1/3 भूमि छूट के बाद) 8 प्रतिशत की जीएसटी रियायती दर के लिए पात्र हैं।

■ इनपुट कर क्रेडिट के बिना 5 प्रतिशत की नई दर निम्नलिखित के निर्माण पर लागू होगी: -

- ◆ चालू परियोजनाओं में वहनीय मकानों के अलावा सभी मकान चाहे वे 1.4.2019 से पहले या बाद में बुक किए गए हों। दिनांक 1.4.2019 से पहले बुक किए गए मकानों के मामले में नई दर 1.4.2019 या उसके बाद भुगतान करने के लिए किस्तों पर उपलब्ध होगी;
- ◆ नई परियोजनाओं में वहनीय मकानों के अलावा सभी मकान;
- ◆ उस आवासीय स्थावर संपदा परियोजना (आरआरईपी) में दुकान कार्यालय आदि जैसे कामर्सियल अपार्टमेंट जिसमें कमर्सियल अपार्टमेंट का कारपेट एरिया सभी अपार्टमेंटों के कुल कारपेट एरिया के कुल 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

#### कर की नई दरों के लिए शर्तें

(ग) (वहनीय मकान के निर्माण पर) 1 प्रतिशत तथा (वहनीय मकानों के अलावा मकानों पर) 5 प्रतिशत की कर की नई दरें निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होंगी:-

- इन कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा;
- [पूँजी वस्तुओं, टीडीआर/जेडीए, एफएसआई, लंबी अवधि के पट्टे (प्रीमियम)] के अलावा निवेश और निवेश सेवाओं का 80 प्रतिशत पंजीकृत व्यक्तियों से खरीदा जाएगा। 80 प्रतिशत से कम की खरीद होने पर, कर का भुगतान बिल्डर द्वारा आरसीएम आधार पर 18 प्रतिशत की दर से किया जाएगा। तथापि, आरसीएम के अंतर्गत अपंजीकृत व्यक्ति से खरीदी गई सीमेंट पर 28 प्रतिशत

की दर से कर तथा आरसीएम पूंजी वस्तुओं पर प्रयोज्य दरों पर कर का भुगतान किया जाएगा।

**कर की नई दर का विकल्प लेने वाले चालू परियोजनाओं हेतु परिवर्तन काल:**

(घ) वे चालू परियोजनाएं (जहां भवन निर्माण और बुकिंग दोनों 1.4.2019 से पहले शुरू हो गए थे) और जो 31.3.2019 तक पूरी नहीं हुई थी और कर की नई दर का विकल्प ले रही हैं, उन्हें निर्धारित पद्धति के अनुसार आईटीसी के परिवर्तन काल की अनुमति प्रदान की जाएगी।

- ♦ [आवासीय परियोजनाओं के लिए (पैरा xix(ii) देखें)] जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित परिवर्तनकाल फार्मूला समूची परियोजना के लिए आईटीसी का पता लगाने हेतु 1.4.2019 को निर्माण के समापन के प्रतिशत हेतु लिए गए आईटीसी का पता लगाता है। फ्लैटों की प्रतिशत बुकिंग तथा प्रतिशत बीजक लेखन के आधार पर, आईटीसी पात्रता निर्धारित की जाती है। परिवर्तनकाल साधारण फार्मूले के आधार पर, यथानुपात आधार पर इस तरह होगा कि फ्लैट बुक कराने के संबंध में समानुपात में क्रेडिट और बुक किए गए फ्लैट पर हुआ बीजलेखन कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन उपलब्ध है।
- ♦ मिश्रित परियोजना के लिए परिवर्तन काल चालू परियोजनाओं (जिन पर 1.4.2019 के बाद भी आईटीसी के साथ 12 प्रतिशत की दर पर कर भुगतान योग्य होगा) के वाणिज्यिक भाग के कारपेट एरिया और उक्त परियोजना के कुल कारपोरेट एरिया के अनुपात में समानुपातिक आधार पर आईटीसी के रूप में परिणत होगा।

**1.4.2019 के बाद शुरू होने वाली परियोजनाओं हेतु टीडीआर/एफएसआई तथा दीर्घावधिक पट्टे का विवेचन**

(ड) भू-स्वामी द्वारा विकासकर्ता को भूमि के टीडीआर, एफएसआई, दीर्घावधिक पट्टे (प्रीमियम) की आपूर्ति को इस शर्त के अधीन छूट होगी कि निर्मित फ्लैट समापन प्रमाणपत्र के जारी होने से पहले बेचे जाते हैं तथा उन पर कर का भुगतान किया जाता है। टीडीआर, एफएसआई, दीर्घावधिक पट्टे की छूट उस मामले में वापस ले ली जाएगी यदि फ्लैट समापन प्रमाणपत्र जारी होने के बाद बेचे

जाते हैं। परन्तु, ऐसी छूट वापसी वहनीय मकानों के मामले में 1 प्रतिशत के मूल्य तथा वहनीय मामलों के अलावा मामले में 5 प्रतिशत के मूल्य तक सीमित होगी। इससे निर्माणाधीन और तुरंत कब्जा लेने के लिए तैयार संपदा के बीच कराधान समानता की उचित मात्रा हासिल होगी।

- (च) टीडीआर, एफएसआई, दीर्घावधिक पट्टे (प्रीमियम) पर कर भुगतान करने की देनदारी प्रतिलोम प्रभार कार्यप्रणाली (आरसीएम) के अंतर्गत भू-स्वामी से भवन निर्माता को स्थानांतरित की जाएगी।
- (छ) वह तारीख जब भवन निर्माता समापन प्रमाण पत्र के बाद बेचे गए फ्लैट के संदर्भ में आरसीएम के अंतर्गत टीडीआर, एफएसआई, भूमि के दीर्घावधिक पट्टे (प्रीमियम) पर कर भुगतान करने का देनदार होगा, समापन प्रमाण पत्र के निर्गम की तारीख में स्थानांतरित की जा रही है।
- (ज) किसी जेडीए में भूमि मालिक को दिए गए घरों के निर्माण पर कर का भुगतान करने के लिए भवन निर्माताओं की देयता भी पूरा करने की तिथि को शिफ्ट की जा रही है।
- (iii) डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रि समूह का गठन किया गया है जिसने भीम या रुपये कार्ड से भुगतान किए जाने पर भुगतान किए गए जीएसटी का 20% या ₹100/- की राशि कैशबैक देने की सिफारिश की है। आवश्यक अवसंरचना विकसित की जा रही है और असम तथा इस योजना के लिए इच्छुक कुछ अन्य राज्यों में इसे प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाएगा।
- (iv) मंत्रि समूह राजस्व जुटाने के संबंध में गठन किया गया है।
- (v) केरल सरकार को अधिक से अधिक दो वर्षों के लिए 1% की दर से उपकर लगाने की अनुमति दी गई है ताकि वह प्राकृतिक आपदा के कारण हुई हानि को पूरा कर सके।
- (vi) केरल सरकार ने तदनुसार पंजीकृत व्यापारियों द्वारा जीएसटी की 12%, 18% और 28% की कर सीमा के भीतर आने वाले सभी मालों की अंतरराज्यीय आपूर्ति के मूल्य पर अंतिम आपूर्ति स्थल पर 1 प्रतिशत केरल बाढ़ उपकर लगाने का निर्णय लिया है। सोना, चांदी और प्लेटिनम के गहनों सहित पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी मानों पर आपूर्ति मूल्य पर 0.25% बाढ़ उपकर लगाया जाएगा। सभी सेवाओं पर 1 प्रतिशत उपकर लगाया जाएगा। केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को सिनेमा टिकटों पर 10 प्रतिशत तक मनोरंजन कर

लगाने की अनुमति देने का भी निर्णय की है। उक्त उपकर 01.07.2019 से लगाया जाएगा।

- (vii) कुछ राज्यों में राजस्व संग्रहण को प्रभावित करने वाले ढांचागत स्वरूपों के कारणों का विश्लेषण करने सहित राजस्व की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए मंत्रि समूह का गठन किया गया है। इस अध्ययन में जीएसटी प्रणाली का डिजाइन तैयार करने के दौरान चर्चा की गई मूल मान्यताओं, इसके क्रियान्वयन और संबंधित ढांचागत मुद्दों की तुलना में राजस्व संग्रहण लक्ष्यों से विचलित होने के प्रमुख कारणों को शामिल किया जाएगा।
- (viii) जीएसटी काल खण्ड में आने वाले लॉटरी पर करारोपण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रि समूह का गठन किया गया है।
- (ix) उन पंजीकरणों जिन्हें 31.03.2019 तक रद्द कर दिया गया था, के रद्दकरण को निरस्त करने की अनुमति देने के लिए कठिनाई दूर करने का आदेश जारी किया गया है। निरसन आवेदन 22.07.2019 तक दायर किया जा सकता है।
- (x) कर भुगतान के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग को और युक्तिसंगत बनाया गया है ताकि व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- (xi) यदि आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता दो लगातार कर अवधियों का जीएसटी रिटर्न दायर नहीं करता है तो ई-वे बिल तैयार करना रोक दिया जाएगा। इसे 21.06.2019 से लागू कर दिया जाएगा।

#### 49. जीएसटी निर्माण में महत्वपूर्ण प्रस्ताव

##### (i) व्यापार को सुविधाजनक बनाना

###### ■ अल्पकालिक प्रस्ताव

- ◆ आरएफडी-01 रिफंड प्रक्रिया के ऑटोमेशन को पूरा करना
- ◆ सभी शीर्षों के अंतर्गत रिफंड की एकल अदायगी
- ◆ नया रिटर्न मॉडल आरंभ करना
- ◆ एकीकृत रोकड़ बही आरंभ करना
- ◆ अनेक मॉडलों वाले पारगमन के ई-वे बिल की वैधता तिथि बढ़ाना
- ◆ सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 14 के अंतर्गत पंजीकृत ओआईडीएआर के लिए वार्षिक रिटर्न की आवश्यकता को हटाना
- ◆ सीजीएसटी अधिनियम में परिषद द्वारा पहले से ही अनुशंसित किए गए अन्य संशोधन अर्थात्

- ◆ करदाता की निवल कर देयता पर ही ब्याज लगाना
- ◆ अग्रिम व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण का गठन
- ◆ भारत छोड़ने वाले पर्यटकों को आपूर्ति करने के समय देश में खरीदे गए सामानों पर आईटीसी रिफंड देकर हवाई अड्डों पर स्थित शुल्क से मुक्त दुकानों और शुल्क प्रदत्त दुकानों को छूट देना
- ◆ क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों जैसे कि यूआईएन एजेंसियों द्वारा जवाहरातों और आभूषणों के आयातों का समाधान करना

###### ■ दीर्घकालिक प्रस्ताव

- ◆ अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को रिफंड
- ◆ जीएसटी के अंतर्गत दण्डनीय प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना
- ◆ उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बीजकों पर परिवर्तनशील क्यूआर कोड का उपयोग करना
- ◆ अनुमोदन पर बिक्री की अवधारणा के साथ आकस्मिक करदेय व्यक्तियों के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता पर विचार करना
- ◆ विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली मध्यवर्ती/ आर एण्ड डी सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए आपूर्ति प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करना
- ◆ प्रतिलोम सीमा शुल्क संरचना के कारण संग्रहीत आईटीसी के रिफंड के भाग के रूप में इनपुट सेवाओं के रिफंड की अनुमति देना
- ◆ सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति को अनिवार्य पंजीकरण से छूट देना
- ◆ क्रूज जलपोतों को की जाने वाली आपूर्ति की शून्य रेटिंग करना। बंकर फ्यूल की आपूर्ति की भी शून्य रेटिंग करना।
- ◆ विभिन्न स्टेकहोल्डरों/क्षेत्र संगठनों/राज्यों से सुझाव लेकर जीएसटी कानून/नियमों में अन्य विधिक संशोधन
- ◆ सेवा क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों के लिए विभिन्न जीएसटी क्षेत्रों में ग्राहक संबंध प्रबंधक (सीआरएम) बनाना

## (ii) अनुपालन में सुधार लाना

- अल्पकालिक प्रस्ताव
  - ◆ इलेक्ट्रॉनिक बीजक बनाना
  - ◆ यदि दो क्रमिक रिटर्न दायर नहीं किए गए हों तो ई-वे बिल को रोक देना
  - ◆ गलत आईजीएसटी रिफंड का दावा करने वाले निर्यातकों की पहचान करना और उनके विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करना
  - ◆ राजस्व ब्याज को सुरक्षित करने के लिए जीएसटी के अंतर्गत रिफंड अवरोधन प्रक्रिया लागू करना
  - ◆ करदाताओं के जोखिम आधारित चयन के आधार पर छटाई एवं जांच (डीजीएआरएम)
- दीर्घकालिक प्रस्ताव
  - ◆ कर अपवंचन का पता लगाने के लिए ज्यो-टैग सूचना का उपयोग करना
  - ◆ जोखिम मानदण्डों का विकास करने के लिए तीसरी पार्टी की सूचना (सीबीडीटी आंकड़े, एमसीए आकड़ों) का उपयोग करना
  - ◆ कार्गो ले जाने की निगरानी करने के लिए एफएएसटीएजी और ई-वे बिलों को लिंक करना
  - ◆ शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के साथ जीएसटी के अंतर्गत वसूली कार्यवाहियों का बेहतर समन्वयन
  - ◆ समायोजन की अनुमति देना और अनंतिम रिफंड से सुनिश्चित मांगों को रोकना

## प्रत्यक्ष कर नीति -

50. अनुपालन में सुधार लाने, राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने और करदाता सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए, आयकर प्रशासन के संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पर्मानेंट अकाउन्ट नंबर (पैन) ने अब आयकर विभाग के बाहर "पहचानकर्ता" की भूमिका प्राप्त कर ली है क्योंकि अब यह विभिन्न कार्यों जैसेकि बैंक खाता खोलने, डिमैट खाता खोलने आयकर नियम, 1962 के नियम 114बी में निर्धारित वित्तीय आहरणों के लिए, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के पंजीकरण आदि अपेक्षित है। इस प्रकार, अनेक सरकारी विभागों और सेवाओं

के लिए पंजीकरण करने के लिए सामान्य व्यवसाय पहचान संख्या (सीबीआईएन) या सरल शब्दों में व्यवसाय पहचान संख्या (बीआईएन) होने के लिए पैन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही, चूंकि पैन को एमसीए, सीबीडीटी, ईएसआईसी, ईपीएफओ, डीआईपीपी और डीजीएफटी सेवाओं के संबंध में व्यवसाय पहचान संख्या के रूप में अपनाया गया है, अतः सीबीडीटी ने एक सामान्य आवेदनपत्र के माध्यम से एक दिन में औसतन चार घंटे में पैन और कर कटौती खाता संख्या (टैन) जारी करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय से अनुबंध किया है। इसके परिणामस्वरूप, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किसी कम्पनी को निगमन प्रमाणपत्र (सीओआई) उस पर निगम पहचान संख्या (सीआईएन) के अलावा पैन का मुद्रण करके जारी किया जाता है। तदनुसार, आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पैन डाटाबेस में निरंतर वृद्धि पाई गई है। 31 अगस्त, 2018 तक आर्बिट्रिट पैन की बढ़ती हुई संख्या (समग्र) 40,70,37,543 है। वर्तमान वर्ष के दौरान (31 अगस्त, 2018 तक) 2,67,73,508 पैन आर्बिट्रिट किए गए हैं।

- प्रोजेक्ट इनसाइट के अंतर्गत, चरणबद्ध तरीके से एक एकीकृत डाटा भंडागार एवं व्यवसाय आसूचना प्लेटफॉर्म आरंभ किया जा रहा है ताकि आयकर विभाग तीन लक्ष्यों अर्थात् स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और गैर-अनुपालन को रोकने, यह विश्वास दिलाने कि सभी पात्र व्यक्ति समुचित कर की अदायगी करते हैं और एक स्वच्छ एवं न्यायपूर्ण कर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इस पहल के तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- ◆ आयकर विभाग के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों/डाटा स्रोतों का दिन के अंतिम समय के समेकन के साथ एक अत्याधुनिक डाटा भंडागार स्थापित किया गया है। डाटा समेकन, डाटा भंडारण, डाटा गुणवत्ता प्रबंधन, डाटा संवर्धन और डाटा विश्लेषण सूचियों का प्रबंधन करने के लिए आयकर संव्यवहार विश्लेषण केन्द्र (आईएनटीआरएसी) का भी प्रचालन किया गया है। नए प्लेटफॉर्म का उपयोग अत्यंत जोखिमपूर्ण गैर-रिटर्न दायरकर्ताओं की पहचान करने, स्वचालित सूचना एक्सचेंज (ईओआई), एफएटीसीए आदि के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं की छानबीन और कार्रवाई करने के लिए मामलों का चयन करने के लिए किया जा रहा है।

- ◆ रिपोर्ट देने वाली संस्थाओं और आयकर विभाग के बीच एक व्यापक संपर्क मुहैया कराने के लिए एक समर्पित रिपोर्टिंग पोर्टल (<https://report.insight.gov.in>) आरंभ किया गया है। इस रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से निर्बाध डाटा प्रक्रिया, डाटा गुणवत्ता निगरानी और रिपोर्ट में त्रुटिसुधार किया जा सकता है।
  - ◆ प्रभावी अनुपालन निगरानी और मूल्यांकन के लिए सुव्यवस्थित विधि से अनुपालन मुद्दों से संबंधित अनुक्रिया को प्राप्त करने के लिए एक समर्पित अनुपालन पोर्टल (<https://compliance.insight.gov.in>) आरंभ किया गया है। स्वैच्छिक अनुपालन और अनुपालन मुद्दों का समाधान करने में सहायता प्रदान करने के लिए, अभियान प्रबंधन पहल का लाभ उठाने के लिए केन्द्रीय अनुपालन प्रबंधन प्रक्रिया केन्द्र (सीएमसीपीसी) भी प्रचालित किया गया है।
  - ◆ प्रोजेक्ट इनसाइट के अंतर्गत आरंभ की गई प्रणालियों को 2019 तक पूरा किए जाने की आशा है।
  - एकीकृत ई-फाइलिंग केन्द्रीयकृत प्रक्रिया केन्द्र 2.0 प्रोजेक्ट (सीपीसी 2.0), जिसे मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में स्वीकृत किया गया था और समझा जाता है कि यह 2020 तक लाइव हो जाएगा, का लक्ष्य सटीकता में सुधार लाने और रिफंड/प्रक्रिया के संपूर्ण समय में काफी कमी लाने; बकाया कर की मांगों का समाधान करने में करदाताओं को सुविधा मुहैया कराने; कर दाताओं की सहायता के लिए एकीकृत संपर्क केन्द्र और डिजिटल मीडिया और नियोक्ता/भागीदार प्रमाणन कार्यक्रम के माध्यम से करदाताओं की सेवाओं में काफी वृद्धि करने के उपायों के रूप में आईटीआर पहले ही भरने और करदाताओं द्वारा उसे स्वीकार करने जैसे उपाय आरंभ करके आयकर प्रबंधन में सुधार लाना है। इसके अलावा, इसका लक्ष्य संपूर्ण देश में निरंतर, एकसमान, नियमों से संचालित, पहचान निरपेक्ष विधि से करदाताओं की सभी कोटियों द्वारा दायर की गई रिटर्न की प्रक्रिया सुनिश्चित करके एकसमान इक्विटी सुनिश्चित करना है। इससे प्रत्येक करदाता को उनकी स्थिति के निरपेक्ष कर समाधान में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।
- इस विभाग ने इस प्रोजेक्ट के भाग के रूप में, वेतनभोगी करदाताओं के लिए फार्म सं. 24क्यू और फार्म सं. 16 का नया प्रारूप अधिसूचित किया है। विभाग को फार्म

सं. 24क्यू में दिए गए टीडीएस विवरण में नियोक्ता द्वारा दी गई सूचना को अब करदाता द्वारा आय की अपनी विवरणी में भरने के लिए अपेक्षित डाटा के साथ समेकित किया जाता है। अब फार्म सं. 24क्यू में कर्मचारी द्वारा अपलोड किए गए डाटा के आधार पर विभागीय वेबसाइट से नियोक्ता को भी अनिवार्य रूप से फार्म 16 तैयार करना होता है जिसमें कर्मचारी के वेतन आय का विवरण, उसकी करदेयता और स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा दिया गया होता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वेतन भुगतान के संबंध में नियोक्ता, विभाग और करदाता के पास एक ही प्रकार का डाटा है। इस प्रकार, नियोक्ता को केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि करदाता जारी किए गए फार्म 16 में दिए गए आंकड़े सही हैं ताकि उसकी आय विवरणी के वेतन भाग को करदाता के लिए पहले से पूरी तरह भरा जा सके।

विभाग, आकलन वर्ष 2019-20 से पहले से भरी जाने वाली आयकर विवरणी में कवर किए जाने वाले क्षेत्रों में वृद्धि भी कर रहा है। इससे आयकर विवरणी दायर करने में लगने वाले समय में कमी आयेगी, डाटा में अंतर या बेमेल होने की समस्या दूर करने से सटीकता में सुधार आएगा और करदाताओं को भरे जाने वाले आंकड़ों का सरल संदर्भ भी मुहैया होगा। आशा है कि इस उपाय से आयकर विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने की प्रक्रिया सरल होगी और प्रस्तुत की गई आयकर विवरणी की प्रक्रिया में लगने वाले संपूर्ण समय में भी कमी आयेगी।

- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (<https://www.incometaxindiaefiling.gov.in>) के माध्यम से आयकर विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने की संख्या जो 2006-07 में 4 लाख थी, आकलन वर्ष 2017-18 में बढ़कर 674.74 लाख हो गई। अधिक से अधिक करदाता अनुकूल होने के निरंतर प्रयास के एक भाग के रूप में, ई-फाइलिंग पोर्टल को निरंतर अपग्रेड किया गया है ताकि आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के अलावा अनेक सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। इसमें अन्य आयकर फार्म जैसेकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत न्यासों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, स्रोत पर शून्य/कम कर की कटौती के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, पैन-आधार को लिंक करने की सुविधा प्रदान करना, रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध प्रस्तुत करना, फार्म 26एएस और बकाया कर के बेमेल सारांश को देखना और बकाया कर मांग का जवाब प्रस्तुत करना, प्रतिनिधि को जोड़ना/उसका पंजीकरण

करना, शिकायत आवेदन (ई-निवारण के माध्यम से) प्रस्तुत करना और पैन के लिए आवेदन (ई-पैन) प्रस्तुत करना शामिल है। इस पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं को सहायता और सांख्यिकीय आंकड़े हिन्दी में भी उपलब्ध हैं।

- इसके अलावा, विभाग द्वारा आयकर कार्य आवेदन (आईटीबीए) प्रोजेक्ट में, जिसे 2013 में आरंभ किया गया था, ई-कार्यवाही भी आरंभ की गई है। ई-कार्यवाही के अंतर्गत, किसी कर निर्धारिती को किसी अधिकारी/आकलनकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी पत्र, नोटिस, प्रश्नावली, आदेश ई-फाइलिंग पोर्टल (<https://www.incometaxindiaefiling.gov.in>) पर “ई-कार्यवाही” शीर्ष के अंतर्गत अपने खाते में दिखाई देंगे। इसी प्रकार, ई-फाइलिंग पोर्टल पर कर निर्धारिती द्वारा दिए गए जवाब भी अधिकारी/आकलनकर्ता अधिकारी को दिखाई देंगे। इससे कर निर्धारिती को आयकर कार्यालय जाने की आवश्यकता में काफी कमी आई है।
- इस दिशा में, संवीक्षा आकलन के लिए आयकर विभाग के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को दूर करके अक्टूबर, 2015 में मुंबई, दिल्ली, चेन्नै, बेंगलुरु और अहमदाबाद में एक पायलट परियोजना के रूप में ईमेल पत्राचार के माध्यम से ई-आकलन (ई-कार्यवाही) आरंभ की गई थी। वित्त वर्ष 2017-18 से, ई-आकलन की सुविधा का विस्तार संपूर्ण देश में कर दिया गया। वित्त वर्ष 2018-19 में, लगभग 97% संवीक्षा आकलन (लगभग 2.06 लाख) ई-विधि से पूरा किया गया है।
- नागरिक उन्मुखी अभिशासन की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:
  - ◆ 31.03.2018 तक आयकर विभाग के सभी भवनों में कुल 400 आयकर सेवा केन्द्र (एएसके), जो आयकर विभाग के नागरिक चार्टर को लागू करने की एक एकल विंडो प्रणाली और लोक सेवा मुहैया कराने में उत्कृष्टता हासिल करने का एक तंत्र है, स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 50 और केन्द्र वित्त वर्ष 2018-19 में स्थापित किए जा रहे हैं।
  - ◆ इस विभाग ने व्यापार प्रदर्शनियों जिनमें दिल्ली में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2019 और भुवनेश्वर में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला, 2018 शामिल हैं, में भी भाग लिया जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक जनता से संपर्क करना, आयकर नियमों एवं प्रक्रियाओं से

संबंधित उनके प्रश्नों का जवाब देना और आयकर का भुगतान करने के लाभों के संबंध में आगंतुकों के बीच रुचि पैदा करना भी था। विद्यालय जाने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए अनेक कार्यक्रम जैसेकि सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज़, नुक्कड़ नाटक और ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

- ◆ इस विभाग के पास एक सुव्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक शिकायत समाधान प्रणाली, जिसे ई-निवारण कहा जाता है, मौजूद है जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। इस प्रणाली से शिकायतें दर्ज करने और भारत सरकार के केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से और नामित पैन सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उन शिकायतों के समाधान की निगरानी करने में भी सहायता मिलती है।
- ◆ इस विभाग ने विभिन्न विषयों से संबंधित मुद्दों के संबंध में ई-मेल और एसएमएस का उपयोग करके जागरूकता अभियान के माध्यम से गहन करदाता संपर्क आरंभ किया है। पैन-बैंक लिंक करने, पैन-आधार लिंक करने, निर्धारित तिथि से पूर्व आईटीआर फाइल करने, रिफंड से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों आदि के संबंध में पिछले महीनों के दौरान अनेक अभियान चलाए गए। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, सोशल मीडिया पर भी इस अभियान को चलाने का प्रस्ताव है ताकि इसकी समाज के उन विभिन्न वर्गों तक अधिक से अधिक पहुँच हो सके जो अब सोशल मीडिया का काफी उपयोग करते हैं।

## व्यय नीति

51. ब.अ. 2019-20 में कुल व्यय ₹27,86,349 करोड़ रखा गया है जो 2018-19 में कुल व्यय के सं.अ. (₹24,57,235 करोड़) से 13.4 प्रतिशत अधिक है। ब.अ. 2019-20 और सं.अ. 2018-19 में कुल व्यय के अनुमानों में माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर शामिल है। सं.अ. 2018-19 और ब.अ. 2019-20 में कुल व्यय का अनुमान व्यय की गति, खर्च न किए गए शेष आदि जैसे कारकों के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों की सभी आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद किया गया है।

## व्यय प्रबंधन

- i. मूल्यांकन और अनुमोदन दिशानिर्देशों (पिछली बार 2016 में जारी) में संशोधन की प्रक्रिया जारी है: परिवर्तनों में ईएफसी/पीआईबी में सीईई (स्थापना व्यय संबंधी समिति) को समाहित करना और मंत्रालयों से प्राप्त सुझावों के



आधार पर प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को दुरुस्त करना शामिल है। निगरानी और मूल्यांकन के दिशानिर्देशों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

- ii. निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण: परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए दिशानिर्देशों में आशोधन करने के जरिए यह निदेशित किया गया था कि सभी मंत्रालयों/विभागों को संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा ओसीएमएस (ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली) पर अपलोड करना चाहिए और इसे पीआईबी/डीआईबी ज्ञापन के भाग के रूप में शामिल करना चाहिए। एसपीआई मंत्रालय की ओसीएमएस निगरानी प्रणाली जो 150 करोड़ से अधिक की केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करती है, को सामाजिक क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए भी विस्तारित किया गया है, जहां कुल लागत ₹150 करोड़ से अधिक है।
- iii. 15वें वित्त आयोग के चक्र में जारी रखने के पहले स्कीमों के अनिवार्य मूल्यांकन के जरिए निष्पादनकारी बजट व्यवस्था: सभी मंत्रालयों/विभागों को अगले वित्त आयोग के चक्र में मूल्यांकन हेतु लाने के पहले केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के संबंध में स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। 28 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, जिनमें 6 अति प्रमुख, 22 प्रमुख और 2 वैकल्पिक स्कीमों शामिल हैं, का मूल्यांकन नीति आयोग को सौंपा गया है। केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का प्रतिदर्श विचारार्थ विषय जिनका उपयोग मंत्रालयों/विभागों द्वारा मानक के रूप में किया जा सकता है, उसे भी नीति आयोग के साथ परामर्श करके जारी किया गया था। नीति आयोग द्वारा पहचान किए गए सभी मंत्रालयों की चुनिंदा स्कीमों के लिए ओओएमएफ (उत्पादन-परिणाम निगरानी रूप रेखा) भी विकसित की जाएगी।
- iv. बजट में मांगों और आयोजना का यथार्थपरक पूर्वानुमान: एफआरबीएम अधिनियम (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) की धारा 3 के संदर्भ में अपेक्षित एमटीईएफ विवरण से यह सुनिश्चित हुआ है कि मंत्रालयों/विभागों के संबंध में उपलब्ध राजकोषीय आवरण का अनुमान देकर बजट बनाने के कार्य को अधिक पेशेवर और यथार्थपरक बनाया जाए, जो मंत्रालयों/विभागों के लिए नियत लक्ष्य प्रदान करते समय ईएफसी/पीआईबी समिति के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है और व्यय के लिए आयोजना सुसाध्य बनाता है।

### प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

52. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जो सुनिश्चित करता है कि देश के विभिन्न कल्याण एवं

सब्सिडी कार्यक्रमों के तहत प्रतिज्ञात लाभ पात्र और हकदार लाभार्थियों तक पहुंचें और उन्हें उनके द्वार पर या उनके बैंक खातों में दिए जाएं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे ने लाभार्थियों को बेहतर लक्षित करने, लाभों की समय पर सुपुर्दगी और बिचौलियों को हटाने के लिए डिजीटल प्रौद्योगिकी का कारगर उन्नयन किया है। इसके द्वारा अदायगी प्रणाली में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही आती है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना का लक्ष्य निर्धनों का वित्तीय समावेशन करना है और आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत सब्सिडियां, सेवाएं और लाभ की प्रदायगी के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में आधार के प्रयोग के लिए कानूनी अनुमोदन से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के प्रयासों को और अधिक बल मिला है।

53. केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अपनी शुरुआत से ही सफल रहा है। फिलहाल 55 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की 439 स्कीमों इसके दायरे में हैं। वर्तमान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे के अंतर्गत, स्कीमों के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों के प्रकार के आधार पर स्कीमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- i. **नकदी स्कीमों:** इस श्रेणी में 302 स्कीमों या स्कीमों के घटक शामिल हैं जिनमें सब्सिडियां/लाभ लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, इस पहल के अंतर्गत लाभार्थी बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेण्डर खरीदते हैं और अपने बैंक खाते में सीधे सब्सिडी प्राप्त करते हैं। मनरेगा में, कामगारों को सभी मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे अंतरित किया जाता है।
- ii. **जिंस संबंधी स्कीमों:** इस श्रेणी में 69 स्कीमों या स्कीमों के घटक शामिल हैं जहां अधिमानतः बिक्री की जगह पर आधार अनुसार सत्यापन करने के बाद लाभार्थी वस्तुओं, जिंसों के रूप में सब्सिडी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सत्यापित लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त दर पर खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है उर्वरक सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों किसानों को बिक्री की जगह पर आधार सत्यापन करने के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक जारी करती हैं।
- iii. **शेष 68 स्कीमों संयुक्त स्कीमों** है जिनमें नकदी और जिंस दोनों घटक शामिल हैं। पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय की स्कीम स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण एक ऐसी ही स्कीम है जिसमें कतिपय क्षेत्रों में पहचान किए गए लाभार्थियों के बैंक खातों में परिवार के लिए शौचालय के निर्माण हेतु निधियां अंतरित की जाती हैं जबकि

अन्य में लाभार्थियों के लिए सामुदायिक निवेदन पर शौचालय का निर्माण किया जाता है, इसमें लाभार्थियों के लिए कोई प्रत्यक्ष लाभ का अंतरण नहीं किया जाता है।

#### 54. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है और अपने संबंधित राज्यों में कार्यान्वित की जा रही सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीमों की प्रगति पर कारगर निगरानी रखने के लिए सक्रिय राज्य पोर्टल विकसित किया गया है। अब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 3,500 स्कीमों (2,078 केन्द्रीय प्रायोजित और 1,422 राज्य की स्कीमों) की पहचान की गई है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अपनाने में अग्रणी हैं। इन राज्यों में एकीकृत सार्वजनिक सेवा प्रदायगी प्रबंधन सोल्युशन्स जैसे कि क्रमशः 'एपी कोर' (उसी समय मुख्यमंत्री कार्यालय), 'समग्र' और 'भामाशाह' गठित किए गए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में इन उत्कृष्ट प्रथाओं से न केवल पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों को पहचानना अनुमत हुआ है अपितु उनकी सटीक सामाजिक-आर्थिक और जनसंख्यात्मक सूचना के आधार पर स्कीमों और कार्यक्रमों को लक्ष्य बनाने के लिए प्रणाली तैयार करना भी अनुमत हुआ है।

55. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल:** माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई, 2015 को शुरू किया गया यह पोर्टल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है। इसका लक्ष्य छात्रवृत्ति के लिए एक ही समाधान केन्द्र प्रदान करना है। यह कई क्रियाकलापों को सुसाध्य बनाता है। इसके दायरे में विद्यार्थियों के पंजीकरण से लेकर उनके दाखिला, सत्यापन, राष्ट्रीय स्तर पर दोहरीकरण से बचाव, योग्यता सूची बनाने, निधियों की संस्वीकृति एवं इलेक्ट्रॉनिक अंतरण शामिल हैं; जिसके द्वारा छात्रवृत्ति के प्रभावी संवितरण को समर्थ बनाने के लिए अंतिम व्यापक समाधान प्रदान किया जाता है। अकादमी वर्ष 2018-19 में, 60 छात्रवृत्ति स्कीमों को (10 मंत्रालयों और 9 राज्यों की) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर रखा गया था और लगभग 68 लाख विद्यार्थियों को ₹2100 करोड़ से भी अधिक राशि की छात्रवृत्ति संवितरित की गई थी।

56. **प्रगति और वर्तमान स्थिति:** उपर्युक्त स्कीमों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन की प्रगति पर डीबीटी भारत पोर्टल द्वारा नियमित रूप से नजर रखी जाती है। 2013-14 में डीबीटी को अपनाने से लेकर 31 मार्च, 2019 तक, नकदी और जिंस स्कीमों के अंतर्गत लगभग 129.2 करोड़ पात्र लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए ₹7,03,593 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया है। वर्षवार विभाजन नीचे दर्शाया गया है:

वित्त वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अंतरित कुल निधियां (₹करोड़)	7,368	38,926	61,943	74,689	1,90,871	3,29,796
पात्र लाभार्थी (करोड़)	10.8	22.8	31.2	35.7	124.0	129.2
लेन-देन (करोड़)		62.5	134.6	153.0	191.3	376.4

स्रोत: <https://dbtbharat.gov.in/>

57. वित्त वर्ष 2018-19 में, पहचान की गई डीबीटी स्कीमों के अंतर्गत 129.2 करोड़ पात्र लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए ₹3,29,796 करोड़ का अंतरण किया गया है। नकदी और जिंस स्कीमों के संदर्भ में विभाजन नीचे दिया गया है:-

वित्त वर्ष 2018-19	नकदी स्कीमें	जिंस स्कीमें	जोड़
अंतरित निधि (₹करोड़)	2,14,092	1,15,704	3,29,796
पात्र लाभार्थी (करोड़)	59	70.2	129.2

स्रोत: <https://dbtbharat.gov.in/>

58. **अनुमानित लाभ:** डीबीटी का लाभ लाभार्थियों तथा सरकार दोनों को मिलता है। लाभार्थी स्तर पर, बाधारहित लाभ प्रदायगी सुसाध्य बनाकर डीबीटी ने नागरिकों को सशक्त बनाया है। सरकार के लिए डीबीटी से प्राप्त लाभों में सेवा प्रदायगी की उन्नत गुणवत्ता, हाथ से कार्य करने की प्रक्रिया कम हुई, निधि प्रवाहों का यौक्तिकीकरण, कम रिसाव और प्रदायगी की घटी हुई लागत शामिल हैं।

59. प्रमुख मंत्रालयों और विभागों में डीबीटी और संबंधित अभिशासन सुधारों से मुख्यतः दोहरी या फर्जी लाभार्थियों को हटाने के परिणामस्वरूप ₹1,41,677.6 करोड़ के अनुमानित लाभ की जानकारी दी है। डीबीटी भारत पोर्टल पर यथा सूचित अनुमानित लाभों का स्कीमवार विभाजन नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	स्कीम	अनुमानित बचत/लाभ (करोड़ में) मार्च, 2019 तक संचयी	अभ्युक्तियां
1.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	पहल	59,599	4.23 करोड़ दोहरे, फर्जी/अविद्यमान, निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन हटाए गए। इसके अतिरिक्त 1.86 करोड़ गैर-सब्सिडी प्राप्त एलपीजी उपभोक्ता है, जिनमें 1.03 करोड़ सब्सिडी छोड़ने वाले उपभोक्ता शामिल हैं।
2.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली	पीडीएस	47,633	2.98 करोड़ दोहरा और फर्जी/अविद्यमान राशन कार्ड को हटाना (इसमें कुछ उत्स्रवास, मृत्यु आदि के कारण शामिल हैं)
3.	ग्रामीण विकास	मनरेगा	20,790.45	क्षेत्र अध्ययनों के आधार पर मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि दोहरा फर्जी/अविद्यमान, अपात्र लाभार्थियों को हटाने के कारण मजदूरी पर 10 प्रतिशत की बचत हुई है।
		एनएसएपी	516.01	4.77 लाख दोहरा फर्जी/अविद्यमान, अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया (इसमें कुछ उत्स्रवास मृत्यु के कारण आदि के कारण शामिल हैं।)
4.	अल्पसंख्यक कार्य	छात्रवृत्ति स्कीमें	159.15	5.26 लाख दोहरा फर्जी/अविद्यमान, अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया
5.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	छात्रवृत्ति स्कीमें	335.51	1.91 लाख दोहरा फर्जी/गैर-मौजूदा, अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया
6.	महिला और बाल विकास	आंगन वाड़ी सेवाओं का पूरक पोषण कार्यक्रम	1,523.75	98.8 लाख दोहरा फर्जी/अविद्यमान लाभार्थियों की कटौती
7.	उर्वरक विभाग	उर्वरक सब्सिडी	10,000	120.88 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की कटौती
8.	अन्य	अन्य	1,120.69	
	<b>कुल</b>		<b>1,41,677.56</b>	

#### सब्सिडियां:

60. ब.अ. 2019-20 में प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय के लिए आबंटन ₹3,01,694 करोड़ रखा गया है, जो जीडीपी के 1.4 प्रतिशत के बराबर है। उर्वरक: नई यूरिया नीति-2015, 1 जून, 2015 से लागू है। इसका उद्देश्य देशी यूरिया उत्पादन बढ़ाना, यूरिया उत्पादन में ऊर्जा सक्षमता को प्रोत्साहित करना; और सरकार पर सब्सिडी के भार को यौक्तिक बनाना है। नई यूरिया नीति-2015 के परिणामस्वरूप बिना अतिरिक्त क्षमता जोड़े ही पिछले वर्षों में अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

- यूरिया की नीम कोटिंग (लेप) - सरकार ने, 25 मई, 2015 को यूरिया की नीमकोटिंग को अनिवार्य बनाया है। देशी उत्पादित यूरिया के संबंध में यूरिया की नीम कोटिंग को 1 सितम्बर, 2015 से शुरू किया गया; और आयातित यूरिया के संबंध में 1 दिसम्बर, 2015 से। 2016 में डीएसी और एफडब्ल्यू द्वारा अध्ययन की अंतरिम

रिपोर्ट के अनुसार नीम कोटेड यूरिया के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं- (i) मृदा स्वास्थ्य में सुधार, (ii) पौध संरक्षण रसायन के उपयोग में कमी, (iii) कीटों और रोग के आक्रमण में कमी, (iv) धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, अरहर/लाल चना की उपज में वृद्धि, (v) गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए विपथन नाममात्र का रह गया है; और (vi) नाइट्रोजन को धीमी गति से छोड़ने के कारण नीम कोटेड यूरिया की नाइट्रोजन उपयोग क्षमता (एनयूई) बढ़ी जिसके परिणामस्वरूप सामान्य यूरिया की तुलना में नीम कोटेड यूरिया की खपत कम हुई।

- यूरिया की 45 किग्रा बोरी की शुरुआत- यूरिया के संतुलित उपयोग और यूरिया की खपत कम करना सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 4 सितम्बर, 2017 की

अधिसूचना द्वारा सरकार में 45 किग्रा की नीम कोटिंग यूरिया शुरू करने का निर्णय लिया है। 1 मार्च, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा डीएसी एंड एफडब्ल्यू में 45 किग्रा यूरिया की बोरी की अधिकतम खुदरा कीमत प्रतिबोरी ₹242 अधिसूचित की है और डीएसी एवं एफडब्ल्यू राजपत्र अधिसूचना दिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि यूरिया यूनितों को अग्रणी समय के रूप में दी गई ताकि नीति का सुव्यवस्थित क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। चालू खरीफ मौसम तथा आने वाले रबी मौसम के दौरान यूरिया की बिक्री पर 45 किग्रा की बोरी शुरू करने के प्रभाव के संबंध में अध्ययन करने हेतु डीएसी एवं एफडब्ल्यू से अनुरोध किया गया है।

iii. नई यूरिया नीति 2015, 25 मई, 2015 को अधिसूचित की गई थी। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं: (i) देशी यूरिया उत्पादन को बढ़ाना; यूरिया यूनितों में ऊर्जा सक्षमता का संवर्धन करना और भारत सरकार पर सब्सिडी के भार को यौक्तिक बनाना है। इसके परिणामस्वरूप, 2015-16 के दौरान 245 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) का उत्पादन हुआ। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यूरिया का उत्पादन 242.01 और 240.92 लाख मीट्रिक टन हुआ था। 2018-19 में यूरिया का उत्पादन 240 लाख मीट्रिक टन हुआ।

iv. बंद पड़ी उर्वरक यूनितों का पुनरुद्धार- भारतीय उर्वरक निगम लि० की सिंदरी (झारखण्ड), तलचर (ओडिशा), रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) और कोरबा (छत्तीसगढ़) में 5 यूनितें थीं और हिन्दुस्तान उर्वरक लि०, एचएफसीएल की बरौनी (बिहार), हल्दिया (पश्चिम बंगाल) और दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में तीन यूनितें थीं। ये यूनितें 1990-2002 की अवधि के दौरान बंद हो गई थीं। भारत सरकार ने 2002 में एफसीआईएल और एचएफसीएल की सभी यूनितों का प्रचालन बंद करने का निर्णय लिया था और इनके सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम के तहत छोड़ दिया गया। एक संयुक्त उद्यम कंपनी, हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लि० की स्थापना गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी यूनितों के पुनरुद्धार हेतु की गई है। एफसीआईएल की रामागुंडम यूनित का पुनरुद्धार रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लि० (आरएफसीएल) नामक संयुक्त उद्यम द्वारा किया जा रहा है; और तलचर यूनित का पुनरुद्धार तलचर उर्वरक लि० द्वारा किया जा रहा है। पुनरुद्धार किए जा रहे पांच संयंत्रों में से प्रत्येक की मौजूदा उत्पादन क्षमता में प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन की क्षमता जुड़ जाएगी। इनमें से आरएफसीएल द्वारा इस वर्ष से उत्पादन शुरू किए जाने की संभावना है। इस उपाय से बाद में आने वाले वर्षों में यूरिया के आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी।

v. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - उर्वरक विभाग ने पूरे देश में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का सफल क्रियान्वयन किया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1.9.2017 से गो-लाइव मोड में रखा गया है और उर्वरक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के तहत मार्च, 2018 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पैन इंडिया में लागू करने का कार्य पूरा हो चुका है, लाभार्थियों को खुदरा विक्रेताओं द्वारा की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। सभी सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की किसानों/क्रेताओं को बिक्री प्रत्येक खुदरा दुकान पर संस्थापित बिक्री की जगह (पी ओ एस) उपकरणों द्वारा की जा रही है और लाभार्थियों की आधार कार्ड, केसीसी, मतदाता पहचान पत्र आदि के जरिए पहचान की जाएगी। विशिष्ट रूप से प्रत्यक्ष लाभ के अंतरण के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए विभाग में एक परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। चालू प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए सभी राज्यों में 24 राज्य समन्वयनकर्ताओं की नियुक्ति की गई है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान पर पीओएस उपकरण लगाना, पीओएस उपकरण का प्रचालन करने के लिए खुदरा विक्रेताओं का प्रशिक्षण अपेक्षित है। सभी राज्यों में 2.23 लाख पीओएस उपकरण लगाए गए हैं। अग्रणी उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं और राज्य समन्वयकर्ताओं द्वारा लगभग 2.23 लाख खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया है। देश भर में 8943 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। मार्च, 2018 से मई, 2019 तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम के अंतर्गत कुल 610.08 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री हो चुकी है।

vi. शहरी कम्पोस्ट को प्रोत्साहित करने संबंधी नीति - भारत सरकार ने शहरी कम्पोस्ट को प्रोत्साहित करने संबंधी एक नीति का अनुमोदन किया है, जो उर्वरक विभाग द्वारा 10.2.2016 को अधिसूचित की गई थी, जिसमें शहरी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए बाजार विकास सहायता हेतु ₹1500 दिए गए हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान शहरी कम्पोस्ट का उत्पादन 196999.32 मीट्रिक टन था और इसकी बिक्री 96584 मीट्रिक टन हुई थी, वर्ष 2017-18 में इसका उत्पादन 338701.38 मीट्रिक टन और बिक्री 199061.91 मीट्रिक टन हुई थी तथा वर्ष 2018-19 में इसका उत्पादन 363261.24 मीट्रिक टन और बिक्री 306630.47 मीट्रिक टन हुआ था।

61. पेट्रोल और डीजल सब्सिडी

i. क्रमशः 26.6.2010 और 19.10.2014 से सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार आधारित की गई

हैं। तब से तदनुसार सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अर्थात् इंडियल ऑयल कारपोरेशन लि0, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद कीमतों और अन्य बाजार परिस्थितियों की तर्ज पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। तेल विपणन कंपनियों ने न केवल कीमतें बढ़ाई हैं अपितु तदनुसार कीमतें घटाई भी हैं।

- ii. खुदरा कीमतों को सरल बनाने के लिए 16 जून, 2017 से सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दिन प्रतिदिन के मूल्य निर्धारण को लागू किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दिन प्रतिदिन संशोधन से खुदरा कीमतें वर्तमान बाजार की स्थितियों को अधिकाधिक उजागर करती हैं तथा पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री मूल्य की अस्थिरता कम करती हैं। इसके अतिरिक्त, इससे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ती है और शोधन संयंत्र/डिपो से खुदरा दुकानों तक उत्पादों का निर्बाध प्रवाह समर्थ बनाती है। सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने जानकारी दी है कि उन्होंने विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए दिन प्रतिदिन के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जानकारी देने हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है; जो इस प्रकार हैं:

- अपनी वेबसाइट पर प्रतिदिन अद्यतन,
- मोबाइल अप्लीकेशन के माध्यम से अद्यतन,
- एसएमएस/आईबीआरएस,
- खुदरा दुकानों पर दर्शाना।

62. मिट्टी तेल संबंधी सार्वजनिक वितरण प्रणाली-

- i. सरकार ने 1 जुलाई, 2016 से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, तेल विपणन कंपनियों को 8 महीने की अवधि में (राज्य करों को छोड़कर प्रतिमाह/पखवाड़ा प्रति लीटर ₹0.25 रुपये के स्लैब के भीतर) 1 फरवरी, 2017 तक प्रति लीटर पीडीएस एसकेओ निर्गम मूल्य ₹3.23 बढ़ाने हेतु प्राधिकृत किया था। इसके अलावा सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 से प्रति पखवाड़ा (राज्य करों को छोड़कर) पीडीएस मिट्टी तेल की खुदरा बिक्री कीमत प्रति लीटर ₹0.25 बढ़ाने हेतु प्राधिकृत किया था। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, तेल विपणन कंपनियों ने 1 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक पखवाड़ा आधार पर पीडीएस मिट्टी तेल की खुदरा बिक्री कीमत प्रति लीटर ₹0.25 बढ़ाई है। 1 जनवरी, 2018 से पखवाड़ा आधार पर खुदरा बिक्री कीमत प्रति लीटर और ₹0.25 बढ़ाई जा रही है।
- ii. ऊपर सरकार द्वारा प्राधिकृत करने के आधार पर जुलाई, 2016 से मई, 2019 तक पीडीएस मिट्टी तेल की खुदरा बिक्री कीमत की कुल बढ़ोतरी (राज्य करों/जीएसटी और अन्य तत्वों को छोड़कर) प्रति लीटर ₹14.73 हुई

है। खुदरा बिक्री कीमत में उपर्युक्त वृद्धि के कारण अप्रैल, 2019 तक कुल बचत ₹8,265 करोड़ अनुमानित है।

- iii. 1 जून, 2019 से लागू वर्तमान कीमत के आधार पर तेल विपणन कंपनियां इस समय पीडीएस मिट्टी तेल पर प्रति लीटर ₹9.80 कम (मुंबई में) वसूली कर रही हैं।
- iv. 1 अक्टूबर, 2016 से झारखण्ड राज्य के 4 जिलों में पीडीएस मिट्टी तेल में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम 2016 कार्यान्वित की गई थी। 1 अप्रैल, 2017 से इस स्कीम को अन्य 6 जिलों में लागू किया गया था और 1 जुलाई, 2017 से पूरे झारखण्ड राज्य में मिट्टी तेल संबंधी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू किया गया था।
- v. आज की तारीख तक 12 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, नागालैण्ड, चंडीगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, पुद्दुचेरी, राजस्थान और महाराष्ट्र) ने डीबीटी की स्कीम के अंतर्गत अपने पीडीएस मिट्टी तेल आबंटन का स्वैच्छिक रूप से अभ्यर्षण किया है। आज की तारीख में 8 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले से ही अपने पीडीएस मिट्टी तेल आबंटन को शून्य कर दिया है।
- vi. वर्ष 2017-18 में, 2016-17 के आबंटन की तुलना में राज्यों को दिए गए पीडीएस मिट्टी तेल आबंटन में समग्र रूप से 28 प्रतिशत की कमी आयी थी और इसी प्रकार 2017-18 के आबंटन की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए 12 प्रतिशत की कटौती की गई है। 2019-20 की पहली तिमाही के लिए आबंटन 2018-19 की पहली तिमाही के आबंटन की तुलना में 12 प्रतिशत कम कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी तेल का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन (किलो)
1.	2015-16	86,85,384
2.	2016-17	69,33,030
3.	2017-18	50,21,828
4.	2018-19	44,32,994

63. घरेलू एलपीजी

- i. पहल (डीबीटीएल) स्कीम देश के 54 जिलों में 15.11.2014 को शुरू की गई थी। इसके बाद, स्कीम का विस्तार शेष भारत में 1 जनवरी, 2015 को किया गया था। स्कीम के अंतर्गत, एलपीजी सिलिंडरों को सब्सिडी रहित कीमत पर बेचा जा रहा है और तथा यथामान्य सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में

अंतरित की जा रही है दिनांक 07.06.2019 की स्थिति तक, 24.72 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता स्कीम में शामिल हुए हैं। इस स्कीम का उद्देश्य है कि सब्सिडी के रिसाव में कमी लाने, न कि सब्सिडी में कटौती करने, के आधार पर सब्सिडियों को औचित्यपूर्ण बनाया जाए।

- ii. सरकार ने ऐसे एलपीजी उपभोक्ताओं अथवा उनके पति/पत्नी जिनकी कर योग्य आय ₹10 लाख है, को एलपीजी सब्सिडी 01.01.2016 से न प्रदान करके सब्सिडी की राशि को औचित्यपूर्ण बनाने हेतु कदम उठाए हैं। मंत्रालय के निदेश को लागू करने के लिए ओएमसी को आवश्यक प्रचालनात्मक दिशा निर्देश जारी किए हैं। 07.06.2019 की स्थिति तक, तकरीबन 8 लाख उपभोक्ताओं ने या तो स्वयं सब्सिडी न ग्रहण करने की घोषणा कर दी है या फिर राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना का उपयोग करके सब्सिडी न दिए जाने वाले उपभोक्ताओं को अभिज्ञात कर लिया गया है।
- iii. व्यक्ति अथवा परिवार के लिए एक एलपीजी कनेक्शन सुनिश्चित किए जाने के लिए अंतर-ओएमसी और अंत-ओएमसी आधार पर दोहरे उपभोग को रोकने (डी-डुप्लीकेशन) का कार्य करने का तंत्र पहले ही स्थापित कर लिया गया है। (डी-डुप्लीकेशन) के कार्य के परिणामस्वरूप 03.06.2019 की स्थिति के अनुसार

4.25 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों को अभिज्ञात कर निरुद्ध कर दिया गया है।

- iv. सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ता जो एलपीजी के लिए सब्सिडी से मुक्त कीमत का भुगतान करने में सक्षम हैं, को स्वैच्छिक रूप से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल आरंभ की है। इससे सरकार सीमित संसाधनों का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को मुहैया करा सकेगी। 07.06.2019 की स्थिति के अनुसार, लगभग 1.03 करोड़ उपभोक्ताओं ने एलपीजी सब्सिडी त्याग दी है।
- v. सरकार ने पीएसयू ओएमसी को सब्सिडीयुक्त घरेलू एलपीजी की प्रभावी कीमत 01 जुलाई, 2016 से ₹2 प्रति सिलेन्डर (14.2 कि.ग्रा.) प्रति माह (राज्य करों को छोड़कर) बढ़ाने के लिए प्राधिकार दे दिए हैं। 01 जून, 2017 से पीएसयू ओएमसी ने सितंबर, 2017 तक सब्सिडीयुक्त घरेलू एलपीजी का प्रभावी मूल्य ₹4 प्रति सिलेन्डर प्रति माह (वैट को छोड़कर) बढ़ाया। पीएसयू ओएमसी ने ऊपर बताई गई वृद्धि के कारण सब्सिडीयुक्त घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य में ₹38 की बढ़ोतरी की।
- vi. वर्ष 2014-15 से ईंधन सब्सिडी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पेट्रोल	-	-	-	-	-
डीज़ल	10,935	-	-	-	-
पीडीएस केरोसिन	24,799	11,496	7,595	4,672	5,950
घरेलू एलपीजी	36,580	18	-	-	-
कुल-कम वसूलियां (क)	72,314	11,515	7,595	4,672	5,950
कुल डीबीटीएल संबंधी सब्सिडियां (ख)	3,971	22,011	12,905	20,905	31,539
डीबीटी के सब्सिडी (दावे) (ग)	-	-	11	113	117
अन्य सब्सिडियां (घ)	23	-	3,293	-	-
पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल सब्सिडी/					
कम-वसूली (क+ख+ग+घ)	76,308	33,526	23,804	25,690	37,606

#### # भुगतान आधार पर

डीबीटीके सब्सिडी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए नकद प्रोत्साहन/सहायता शामिल नहीं है।

#### अवसंरचना नीति

64. अवसंरचना में सरकारी तथा निजी निवेश बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं।

- vii. अवसंरचना निवेश न्यासों (इन्वआईटी) तथा रियल एस्टेट निवेश न्यासों (आरईआईटी) जैसे अवसंरचना

वित्तपोषण के कई सारे नवाचार तरीकों की खोज की गई है।

- उपलब्धि : वित्तपोषण के नवाचार तरीकों के परिणामस्वरूप, तीन इन्वआईटी की शुरुआत की गई है: अर्थात् आई आर बी इन्वआईटी, इन्डीग्रिड, इन्ड इन्फ्राविट न्यास जिन्होंने एकत्रित रूप से ₹10,040 करोड़ (क्रमशः ₹5000 करोड़, ₹2250 करोड़, ₹2790 करोड़) जुटाए हैं। मार्च 2019 में, पहली आर ई आई टी, एम्बैसी कार्यालय पार्को ने

आईपीओ के माध्यम से लगभग ₹4750 करोड़ जुटाए हैं।

- लाभ: ₹10,040 करोड़ तक का अतिरिक्त अवसंरचना वित्तपोषण - इससे देश में अवसंरचना के अभाव को कम करने में सहायता मिली, परिसंपत्ति-देयता गड़बड़ी के बिना अवसंरचना का वित्तपोषण: अवसंरचना वित्तपोषण के मुख्य स्रोतों में से एक स्रोत बैंक वित्तपोषण है जो परिसंपत्ति-देयता गड़बड़ी से ग्रस्त होता है क्योंकि बैंक देयताएं लघु-अवधि की होती हैं जबकि अवसंरचना परिसंपत्तियां दीर्घ-अवधि की होती हैं। इससे बैंकों की अनर्जक परिसंपत्तियों सहित विभिन्न मुद्दे उत्पन्न होते हैं। संस्थागत निवेशकों (पेंशन निधियां, सॉवरन धन निधियां आदि) को अवसंरचना में आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो परिसंपत्ति-देयता गड़बड़ी से ग्रस्त नहीं होते हैं।

viii. शहरी अवसंरचना का म्युनिसिपल बंधपत्र वित्तपोषण: सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए पूंजी बाजारों के जरिए वित्त जुटाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमताओं का निर्माण करने हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए एक परियोजना आरंभ की है। इस प्रायोगिक पहल का लक्ष्य यूएलबी के लिए सफल प्रायोगिक संव्यवहार के माध्यम से प्रतिकृति योग्य मॉडल विकसित करना है। म्युनिसिपल बंधपत्रों के निर्गमन हेतु भारत में सेबी द्वारा दिशानिर्देश वर्ष 2015 में अधिसूचित किए गए थे।

- उपलब्धि: 2016 तक, भारत में म्युनिसिपल बंधपत्र निर्गमन की संचयी राशि ₹2000 करोड़ से भी कम थी। हाल ही में इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। विगत दो वर्षों में बहुत से म्युनिसिपल बंधपत्र जारी हुए हैं। पुणे नगर-निगम ने जून 2017 में रु. ₹200 करोड़ मूल्य के म्युनिसिपल बंधपत्र, ग्रेटर हैदराबाद नगर-निगम ने फरवरी, 2018 में ₹200 करोड़ एवं अगस्त 2018 में ₹195 करोड़, इंदौर नगर-निगम ने जून 2018 में ₹139 करोड़, भोपाल नगर निगम ने सितंबर 2018 में रु. ₹175 करोड़, ग्रेटर विशाखापटनम नगर निगम ने दिसंबर 2018 में ₹80 करोड़, अहमदाबाद नगर निगम ने मार्च 2019 में ₹200 करोड़ तथा सूरत नगर निगम ने मार्च 2019 में ₹200 करोड़ के म्युनिसिपल बंधपत्र जारी किए।
- लाभ: शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्तपोषण के स्रोतों का विविधीकरण करने के फलस्वरूप बजटीय संसाधनों पर निर्भरता कम हुई, बंधपत्र बाजार की वृद्धि हुई।

ix. बजट भाषण 2016-17 में की गई घोषणा के अनुसार, अवसंरचना कंपनियों द्वारा लाए गए बंधपत्रों की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को

उधारों में वृद्धि करने के लिए क्रेडिट वृद्धि (सीई) कंपनी स्थापित करने का कार्य उन्नत स्तर पर है। स्थापना व्यय समिति ने 13 मार्च 2019 को हुई अपनी बैठक में कुछ शर्तों के अधीन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण वृद्धि के लिए विशेष प्रयोजन व्यवस्था स्थापित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की थी। इसके लिए मसौदा मंत्रिमंडल नोट सीई कंपनी की प्रारंभिक श्रेयस्थारिता को अंतिम रूप देते ही प्रस्तुत किया जाएगा।

- लाभ: अवसंरचना वित्तपोषण का परम्परागत स्रोत बैंक वित्तीय होता है, जो परिसंपत्ति-देयता गड़बड़ी से ग्रस्त होता है। जिसके फलस्वरूप बैंकों में अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या उत्पन्न होती है। अवसंरचना का बंधपत्र द्वारा वित्तपोषण बेहतर उपाय है। प्रस्तावित सीई कंपनी अवसंरचना कंपनियों द्वारा जारी बंधपत्रों की रेटिंग में वृद्धि करेगी, जिससे वे संस्थागत निवेशकों से निवेश आकर्षित कर सकेंगे।

65. अवसंरचना में सरकारी-निजी भागीदारियां (पीपीपी):

66. अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पीपीपी मॉडल की तरफ रुख करने से ऐसे क्षेत्रों में जहां अमूमन वित्तपोषण नहीं होता है, सार्वजनिक हितों के प्रावधान के लिए मूल्यवान राजकोषीय गुंजाइश बन सकेगी। पीपीपी परियोजनाएं राजमार्ग, हवाईपत्तन तथा पत्तन जैसे सेक्टरों में प्रचालित होती हैं। सड़क और पत्तन सेक्टरों में आदर्श रियायत सहमति (एमसीए) को भी अंगीकार किया गया है। इस दिशा में निम्नलिखित पहल की गई है:

- i. सरकारी-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति: पीपीपी परियोजनाएं दीर्घावधिक परियोजनाएं होती हैं और एक अच्छी पीपीपी परियोजना एक अच्छे-खासे जोखिम से भरपूर होती हैं। भारत सरकार ने केन्द्रीय सेक्टर में पीपीपी परियोजनाओं के लिए उत्तरदायी सरकारी-निजी भागीदारी मूल्यांकन तंत्र अधिसूचित किया है। पीपीपी परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन तंत्र को युक्तियुक्त बनाया गया था ताकि परियोजनाओं का मूल्यांकन तेजी से किया जा सके, विलंबों को समाप्त किया जा सके, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाया जा सके तथा जोखिम आवंटन सहित मूल्यांकन तंत्र और दिशानिर्देशों में एकरूपता लाई जा सके। केन्द्रीय सेक्टर की पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने के लिए पीपीपीएसी की अध्यक्षता सचिव, आर्थिक कार्य विभाग जिनके साथ व्यय विभाग, विधि कार्य विभाग के सचिव, प्रायोजक मंत्रालय/विभाग तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नीति आयोग सदस्यों के रूप में होते हैं।

- उपलब्धि: वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, पीपीपीएसी ने ₹87,728 करोड़ कुल परियोजना लागत की 56 परियोजनाओं की सिफारिश की। इन 56 परियोजनाओं में से, 43 सड़क सेक्टर की परियोजनाएं हैं, 3 पत्तन सेक्टर

की परियोजनाएं हैं, 8 विमानपत्तन सेक्टर की परियोजनाएं हैं तथा एक-एक परियोजना आवास सेक्टर और पर्यटन सेक्टर की है।

- लाभ: पीपीपी के माध्यम से अवसंरचना के विकास से आर्थिक वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है, रोजगार का सृजन होता है, निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के लिए अवसर उत्पन्न होते हैं और जीवन की परिस्थितियों में सुधार आता है।
- ii. अवसंरचना में सरकारी-निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर निधियन): उच्च परियोजना लागत, लंबे समय तक सहेजने की अवधि तथा प्राप्त होने वाला लाभ दशकों तक काम करने के दौरान मिलने के कारण अवसंरचना परियोजनाएं अक्सर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं होती हैं। तथापि, वे निरंतर आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनी रहती हैं। तदनुसार, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम (व्यवहार्यता अंतर निधियन (बीजीएफ) स्कीम) पीपीपी के माध्यम से शुरू की गई अवसंरचना परियोजनाओं को पूंजीगत अनुदान, एक बार अथवा आस्थागित, के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तैयार की गई थी ताकि उनको वाणिज्यिक रूप में व्यवहार्य बनाया जा सके। यह सकीम कुल परियोजना लागत (टीपीसी) के 20 प्रतिशत तक व्यवहार्यता अंतर निधियन उपलब्ध कराती है। सरकार अथवा सांविधिक इकाई, जिसका परियोजना पर स्वामित्व है, यदि ऐसा निर्णय लेती है, अपने बजट में से टीपीसी के 20 प्रतिशत तक और अतिरिक्त अनुदानों को उपलब्ध कराती है।
- उपलब्धि: वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 तक के दौरान, वीजीएफ स्कीम के अंतर्गत ₹19,952 करोड़ की टीपीसी की 48 परियोजनाओं को सिद्धान्ततः अनुमोदन दिया गया था तथा ₹6,136 करोड़ की टीपीसी की 21 परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था। पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान ₹2,908 करोड़ का कुल वीजीएफ संवितरित किया गया।
  - लाभ: वीजीएफ स्कीम से अवसंरचना निवेश बढ़ाने में सहायता मिली है, यहां तक कि इस स्कीम का उपयोग करके उन परियोजनाओं को भी शुरू किया गया जो वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं होती हैं। पूंजी अनुदान परियोजनाओं में निजी सेक्टर की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है, इससे अवसंरचना विकास में निजी सेक्टर की दक्षताएं भी सुसाध्य हो जाती हैं।

## सरकारी उधारियों, ऋण देने और निवेशों पर नीति

67. विवेक सम्मत ऋण प्रबंधन सुदृढ़ आर्थिक नीति का आधार है और यह वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। मध्यावधि में इसके प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति को केंद्र सरकार के ऋण पर तैयार दस्तावेज ऋण प्रबंधन रणनीति (डीएमएस) में बड़े विस्तार से समझाया गया है जिसमें सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के निपटान के संबंध में विभिन्न कार्यनीतिक बेंचमार्क दिए गए हैं। सरकार के ऋण पोर्टफोलियों में आवर्ती जोखिम निम्न बना रहेगा क्योंकि बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत मैच्योरिटी 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 10.40 वर्ष के आसपास बनी हुई है जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में अधिक है। इसके अलावा, बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों में अल्पावधिक ऋण का हिस्सा 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार लगभग 4.3 प्रतिशत है और अगले 5 वर्षों में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियां कुल बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों का लगभग 28.3 प्रतिशत हैं, जिससे अल्पावधि में आवर्ती जोखिमों का निम्नस्तर पर बनाए रखने को बल मिलता है। वर्ष 2018-19<sup>2</sup> के दौरान, प्राथमिक निर्गमन की भारत औसत मैच्योरिटी 14.73 वर्ष पर काफी ऊंची बनी रही जबकि पिछले वर्ष इससे कम 14.13 वर्ष थी। वर्ष 2018-19 की उसी अवधि के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत आय 7.77 प्रतिशत पर रही जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान यह 6.98 प्रतिशत पर थी जो तुलनात्मक रूप से इससे होने वाली बढ़ती आय के रुझानों का संकेत देता है। बाजार से उधार लेने की अपनी रणनीति का अनुसरण करते हुए, दिनांकित प्रतिभूतियों से ली गई ₹4,23,122 करोड़ की उधारियों से वर्ष 2019-20 में लगभग 60 प्रतिशत जीएफडी को वित्तपोषित करने का बजट प्रावधान है।

68. ऋण नीति में स्थिर, निम्न लागत और विवेकसम्मत ऋण ढांचा बनाए रखने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के आरबीआई के साथ परामर्श करके, वापसी खरीद और अल्पावधिक सरकारी प्रतिभूतियों के स्थान पर दीर्घावधिक सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में वर्ष 2013-14 से बाजारोन्मुखी सक्रिय ऋण प्रबंधन के साधनों का उपभोग किया है। जिसका उद्देश्य मोचन के दबाव को समान रूप से वितरित करना, आवर्ती जोखिम को कम करने के साथ-साथ नकदी अधिशेष का विवेकसम्मत उपयोग करना है। आने वाले वर्षों में, विशेषकर वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान मोचक के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार अपनी सक्रिय ऋण प्रबंधन रणनीति को जारी रखेगी। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, सरकार ₹50,000 करोड़ मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद करेगी और ₹50,000 करोड़ मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को अल्पावधिक से दीर्घावधिक में परिवर्तित करेगी।

69. सरकारी प्रतिभूतियों के लिए गहरी और अर्थसुलभ (लिक्विड) गौण बाजार का विकास करना ऋण प्रबंधन नीति का अलग प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि इससे ब्याज दरों के दक्ष निर्धारण में मदद मिलती है। सरकार सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अर्थसुलभ और जीवंत गौण बाजार लाना और निवेशक आधार को व्यापक बनाना चाहती है ताकि यह

1 विशेष प्रतिभूतियां, एफआरबी और आईआईबी शामिल हैं।

2 26 दिसम्बर, 2017 तक



सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण लागत प्रभावी तरीके से जुटायी जा सके। बाजार के विकास से जुड़ी पहलों को आरबीआई के साथ समन्वय करते हुए प्रारंभ किया गया। सरकार की प्राथमिक निर्गमन की रणनीति के अंतर्गत सरकार बहुविध बेंचमार्क वाली मैच्योरिटीयों के तहत कई प्रतिभूतियां जारी करके और मौजूदा प्रतिभूतियों के तहत काफी बड़ा परिमाण तैयार करने पर विशेष ध्यान देती रहेगी ताकि मोचन को लेकर सरकार के बड़े जोखिम को संभालने के लिए अलग-अलग प्रतिभूतियों के तहत बकाया राशि पर आंतरिक उच्चतम सीमाओं के साथ गौण बाजार में नकदी को बढ़ाया जा सके।

70. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, केवल छह नई प्रतिभूतियों को शुरू किया गया था, जिनके परिणामस्वरूप अनेक बकाया सरकारी प्रतिभूतियों का समेकन हुआ। वर्ष 2019-20 के दौरान, अभी तक छह नई प्रतिभूतियां प्रारंभ की गई हैं। अंतरा-वर्ष नकदी के बेहतर प्रबंधन के लिए ऋण नीति का उपयोग करने के उद्देश्य से और साथ ही वित्तीय वर्षों के पूर्वाद्धों में मोचन के दबाव को कम करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-मानक मैच्योरिटी बॉन्ड जारी करना शुरू किया, जो 2019-20 में भी जारी रहा। वर्ष 2019-20 के दौरान जारी की गई कुल छह नई प्रतिभूतियों में से 5 प्रतिभूतियां गैर-मानक मैच्योरिटी बॉन्ड हैं। सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों के अंतर्गत राशि के एक भाग को गैर-प्रतिस्पर्धा निवेशकों के लिए आरक्षित रखा गया है ताकि उन्हें नीलामियों में भारत औसत मूल्य पर प्रतिभूतियां जारी करने का लाभ दिया जा सके। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में प्रारंभ की गई सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) स्कीम से निवेशकों के निवेश-विकल्प बढ़ने के साथ-साथ इससे खुदरा निवेशकों की और अधिक भागीदारी के माध्यम से केन्द्र सरकार की ऋण देनदारियों के लिए निवेशक आधार में विविधता भी आएगी। एसजीबी स्कीम की विशेषताओं में लगातार सुधार लाया जा रहा है ताकि इन्हें निवेशकों के और अधिक अनुकूल बनाया जा सके और खुदरा निवेशक आधार को बढ़ाया जा सके।

71. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए निवेश की और अधिक अनुमान जन्य व्यवस्था लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के परामर्श में, अप्रैल 2015 में सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमाओं के लिए मध्यावधिक ढांचा (एमटीएफ) निर्धारित किया था। इस ढांचे को 27 मार्च, 2019 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश सीमा को 2019-20 में सरकारी प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 6 प्रतिशत पर कायम रखा गया है। दो उप-श्रेणियों - सामान्य और दीर्घावधि पर सरकारी प्रतिभूति सीमा में वृद्धि के आबंटन को वर्ष 2019-20 के लिए 50:50 के अनुपात पर निर्धारित किया गया था। आशा है कि इससे सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता में और अधिक विविधता का मार्ग प्रशस्त होगा।

72. बाजार उधारियों पर और अधिक ध्यान देने के अलावा, सरकार प्रशासित ब्याज दरों को बाजार दरों के अनुरूप करने की दिशा में भी अग्रसर है। छोटी बचतों पर ब्याज दरें अब व्यापक रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की आय से जुड़ी हैं। ब्याज दरों की अब हर तिमाही में समीक्षा की जाती है। छोटी बचत की विभिन्न स्कीमों के तहत वित्त वर्षों के दौरान आहरणों को घटाकर प्राप्त संग्रहण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए निधियों के स्रोत के रूप में कार्य करता है।

एनएसएसएफ के अंतर्गत निवल संग्रहण जो अब तक केंद्र और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किए जाते थे अब अधिकांशतः भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। परंतु 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद 1 अप्रैल 2016 से राज्य सरकारों को एनएसएसएफ से उधारियां लेने से वर्जित कर दिया है।

73. सरकार सरकारी ऋण प्रबंधन के प्रचालकों में पारदर्शिता लाने के लिए वचनबद्ध है। भारत सरकार देश की समग्र ऋण स्थिति, केंद्र सरकार का समेकित सरकारी ऋण डाटा, इसकी ऋण प्रबंधन ऋण नीतियों का वर्णन करने के उद्देश्य से अनेक दस्तावेजों का प्रकाशन करती रही है। इन प्रकाशनों में सरकारी ऋण पर वार्षिक स्थिति पत्र (2010 से अब तक), ऋण प्रबंधन रणनीति दस्तावेज (2015) और केंद्र सरकार के ऋण पर सांख्यिकी संबंधी हस्तपुस्तिका (2013 से) शामिल हैं। सरकार ने अब इन सभी प्रकाशनों को एक रिपोर्ट में समेकित कर दिया है ताकि समस्त सरकारी ऋणों संबंधी जानकारी एक ही स्थान पर लाई जा सके। वर्ष 2017-18 के लिए 'सरकारी ऋण-दिसंबर पर स्थिति पत्र' नामक यह रिपोर्ट विगत में 18 जनवरी 2019 को जारी की गई थी और वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट का संकलन हो रहा है और इसे शीघ्र ही प्रकाशित कराया जाएगा। इस रिपोर्ट में सरकारी ऋण से संबंधित विविध पहलू शामिल किए गए हैं जिनमें देश की समग्र ऋण स्थिति, ऋण धारणीयता के पहलुओं का मूल्यांकन, विभिन्न जोखिमों को सम्मिलित करते हुए ऋण प्रबंधन रणनीति आदि शामिल हैं। इस प्रकाशन में सरकारी ऋण के दायरे को व्यापक बनाते हुए ऋण प्रबंधन रणनीति के तहत सरकारी ऋण के सभी घटकों को सम्मिलित किया गया है।

74. एक स्वतंत्र और सांविधिक ऋण प्रबंधन एजेंसी नामतः सरकारी ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) की स्थापना से पहले सरकारी ऋण प्रबंधन सेल (पीडीएमसी) को एक अंतरिक व्यवस्था के रूप में बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 04 अक्तूबर, 2016 को स्थापित किया गया था, जो यथासमय मिले उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता रहा है और समयबद्ध तरीके से पीडीएमए के निर्माण की ओर भी कदम बढ़ा रहा है।

#### आकस्मिक और अन्य देनदारियां

75. संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, केंद्र सरकार भारत की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारियों की अदायगी के लिए गारंटियां देती है। एफआरबीएम अधिनियम में केन्द्र सरकार को अधिदेश दिया गया है कि वह आकस्मिक देनदारियों को गारंटियों के रूप में मानने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करे। तदनुसार, एफआरबीएम नियमावली में वृद्धिशील गारंटियों के लिए जीडीपी का 0.5 प्रतिशत भाग उच्चतम सीमा के रूप में विहित किया गया है जिसे सरकार एक विशेष वित्तीय वर्ष में मान सकती है। केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक हितलाभों वाले सरकारी निकायों द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं या क्रियाकलापों की लाभप्रदता में सुधार लाने के प्राथमिक उद्देश्य से गारंटियां प्रदान करती है ताकि उधारी की लागत को कम करने के साथ-साथ उन मामलों में जरूरत को पूरा किया जा सके जहां सॉवरेन गारंटी द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय सहायता के लिए पूर्व शर्त है। चूंकि सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियां, सहकारी संस्थान, वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण

स्पष्ट वैधानिक निकाय है इसलिए ये आपके ऋणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनके वित्तीय दायित्वों के लिए गारंटी देने की प्रक्रिया में सरकार इन दायित्वों की पूर्ति के निर्धारण और इन्हें पर्याप्त रूप से प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध है।

76. आकस्मिक देनदारियों के बेहतर प्रबंधन के लिए, सरकारी वित्तीय नियमावली, 2017 और सरकारी गारंटी निति में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है जिनका नई आकस्मिक देनदारियों को सॉवरेन गारंटियों के रूप में लेने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। चूंकि इन गारंटियों का जोखिम सरकार पर पड़ता है, इसलिए प्रस्तावों की जांच इस तरीके से की जाती है कि ऋण सीधे सरकार द्वारा लिया जा रहा है। नीति में प्रतिपादित सिद्धांत इन आकस्मिक देनदारियों को ग्रहण करते समय सॉवरेन के जोखिम प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए फ्रेमवर्क का निर्धारण करते हैं। इन सिद्धांतों में जोखिम के निर्धारण को सम्मिलित किया गया है जिसमें भावी खर्च (पे आउट) की संभाव्यता, क्रियाकलाप की प्राथमिकता, चुनिंदा क्षेत्रों के लिए जोखिम दुष्प्रभाव को सीमित करने के लिए और बजटीय सहायता या सुविधा के अन्य रूपों के सापेक्ष गारंटी की जरूरत की समीक्षा करने के लिए गारंटी पर संस्थागत सीमाएं शामिल हैं।

77. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के रूप में आकस्मिक देनदारियों का स्टॉक निर्बाध रूप से बढ़ा है जो वर्ष 2004-05 में ₹1,07,957

करोड़ था वर्ष 2017-18 के अंत में बढ़कर ₹3,80,172.80 करोड़ हो गया है। गारंटियों पर एफआरबीएम उच्चतम सीमा जिसे सरकार द्वारा किसी वित्त वर्ष के दौरान माना जा सकता है, के परिणामस्वरूप आकस्मिक देनदारी और जीडीपी के बीच अनुपात काफी कम हो गया है। यह अनुपात वर्ष 2004-05 में 3.3 प्रतिशत था और वर्ष 2017-18 में घटकर 2.27 प्रतिशत दर पर आ गया है। एफआरबीएम नियमावली, 2004 में यथाविहित बकाया गारंटियों पर प्रकटन विवरण प्राप्ति बजट [भाग ख का 1(iii)] में लगाया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान, गारंटी के स्टॉक में होने वाली निवल (अनुवृद्धि) ₹13,984.10 करोड़ थी जो कि जीडीपी का 0.08 प्रतिशत है और यह एफआरबीएम नियमावली के तहत 0.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।

#### आगामी वर्ष के लिए कार्यनीतिक प्राथमिकताएं:

78. आगामी वर्ष में ध्यान मुख्य रूप से व्यय कुशलता में सुधार लाने तथा कर संग्रहणों में सुधार लाने पर दिया जाएगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अर्थव्यवस्था वापस उसी राजकोषीय घाटे के मार्ग पर बढ़े जो एफआरबीएम अधिनियम में उल्लिखित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाएं मध्यम से दीर्घ अवधि में आशाओं से भरपूर हैं। इस प्रकार, सांकेतिक रूप से बढ़ी जीडीपी के राजकोषीय प्रबंधन को मिली उत्प्लावकता तथा राजस्व में परिणामी बढ़ोतरी से आशा है कि अर्थव्यवस्था की राजकोषीय संभावनाओं में बढ़ोतरी होगी।